₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

अगस्त 2015



- ढिंढोरा धर्मनिरपेक्षता का
  –डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात
- उर्दू के आधार-स्तंभ
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- विरासत का क़ानून
  –संपादन प्रभाग
- डॉ॰ अम्बेडकर, इस्लाम और मुसलमान
  –आर॰ एस॰ आदिल

अल्लाह ने
गवाही दी कि उसके सिवा
कोई पूज्य नहीं और फ़रिश्तों ने
और उन लोगों ने भी जो न्याय और
संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता
को जानते हैं, उस प्रभुत्वशाली,
तत्वदर्शी के सिवा कोई
पूज्य नहीं ।
-क़ुरआन

A WELL WISHER
KOLKATA

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 25 अंक 2 अगस्त 2015

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, (अल्लाह के आगे) झुको और सजदा करो, और अपने रब की बन्दगी करो, और अच्छे कर्म करो, इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

दोहे

पत्रकारिता : तब और अब

पत्रकारिता थी कभी, सचमुच मिशन पुनीत ।
त्याग-तपस्या से भरा, इसका सकल अतीत ।।

बालमुकुन्द, विद्यार्थी, लगते सभी अनन्य ।
पाकर जिनको हो गयी, पत्रकारिता धन्य ।।

क़लम बनाकर हाथ को, लिखे रक्त से लेख ।
बदली भारतवर्ष की, तभी भाग्य की रेख ।।

कांटों-भरे थे रास्ते, मंज़िल भी थी दूर ।
पत्रकार थे सब मगर, हिम्मत से भरपूर ।।

देश हुआ स्वाधीन जब, बदला सकल स्वरूप ।
पत्रकारिता का हुआ, अब तो रूप कुरूप ।।

पत्रकारिता अब बनी, 'ग्लैमर' का पर्याय ।
मिशन रही थी जो कभी, आज बनी व्यवसाय ।।

अब परोसता मीडिया, कुछ ऐसी 'कवरेज' ।
कोई भी हो मामला, लगे सनसनीख़ेज़ ।।

गलाकाट प्रतियोगिता, तथ्यों से खिलवाड़ ।
पत्रकारिता अब बनी, अपराधों की आड़ ।।

है 'ब्लैकमेलिंग' कहीं, कहीं स्वार्थ का खेल ।
पत्रकार की नाक में, डाले कौन नकेल ।।

यूं तो चौथे स्तम्भ का, अब भी अच्छा काम ।
काली भेड़ों ने किया, किन्तु इसे बदनाम ।।

पत्रकारिता यदि बने, उजला दर्पण आज ।
बिंबित हो इसमें तभी, सारा देश-समाज ।

राजनीति हो, खेल हो, हो कोई व्यापार ।
सबकी उन्नति के लिए, सर्वोत्तम अख़बार ।।

डॉ० रामनिवास 'मानव'

706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरि०)



कहां क्या है ?

दोहे	–डॉ॰ रामनिवास 'मानव'	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
विकास-संपन्नता के दावों की सच्चाई (संपादकीय)		7
यह कैसा इन्साफ़ है ? (आपके पत्र)		9
विरासत का क़ानून (आस्था)	–संपादन प्रभाग	13
दान और दया की महान परंपरा है इस्लाम में	–विद्या प्रकाश	17
डॉ॰ अम्बेडकर, इस्लाम और मुसलमान (विमर्श)	–आर॰ एस॰ आदिल	19
ग़ज़ल	–दरवेश भारती	23
सफलता के लिए ज़रूरी है निरंतर प्रयास	–सीताराम गुप्ता	25
उर्दू के आधार-स्तंभ (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	26-27
ब्याज-मुक्त अर्थव्यवस्था का विरोध क्यों ?	–के॰ सी॰ त्यागी	35
ढिंढोरा धर्मनिरपेक्षता का (विचारणीय)	–डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात	37
हाशिमपुरा के बहाने (मुद्दा)	–जीतेन्द्र गुप्ता	39
सारा अबू बकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व	–आर॰ चिक्काबसवण्णा	43
व्यंग्य के पुरोधा 'दादा' (संस्मरण)	–मुहम्मद मुईनुद्दीन 'अतहर'	45
ग़ज़ल	–दुष्यंत कुमार	46
चलो कोई बात नहीं (कहानी)	–राम प्रवेश रजक	47
दांतों को सड़न से बचाएंगे सेब-संतरे (स्वास्थ्य चर्चा)	–योगेश कुमार गोयल	49
बालवीथी		50

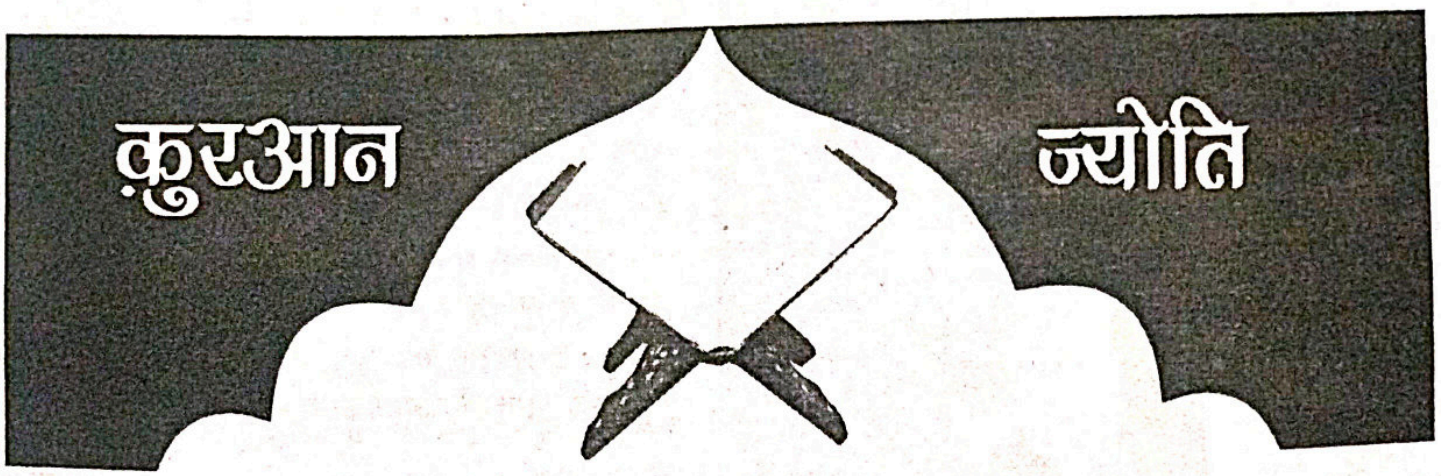

(81) जिन लोगों को पीछे रह जाने की अनुमति दे दी गयी थी वे अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर प्रसन्न हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जान व माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि "इस सख़्त गर्मी में न निकलो।" उनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे अधिक गर्म है, काश उन्हें इसकी समझ होती! (82) अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं अधिक, इसलिए कि जो बुराई ये कमाते रहे हैं उसका बदला ऐसा ही है (कि इन्हें इस पर रोना चाहिए)। (83) अगर अल्लाह इनके बीच तुम्हें वापस ले जाए और आगे इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे अनुमति मांगे तो साफ़ कह देना, "अब तुम मेरे साथ कदापि नहीं चल सकते और न मेरे साथ किसी शत्रु से लड़ सकते हो, तुमने पहले बैठे रहने को पसन्द किया था, तो अब घर बैठने वालों के साथ ही बैठे रहो।"

(84) और आगे इनमें से जो कोई मरे उसकी जनाज़े की नमाज़ भी तुम कदापि न पढ़ना और न कभी उसकी क़ब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र (अवज्ञा) किया है और वे मरे हैं इस हाल में कि वे अवज्ञाकारी थे।[88] (85) उनकी मालदारी और संतान की अधिकता तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस धन और संतान के द्वारा उनको इसी दुनिया में सज़ा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वे अधर्मी हों।

–क़ुरआन, 9 : 81-85

---

88. तबूक से वापसी पर कुछ अधिक समय न बीता था कि अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ों का सरदार मर गया। उसके बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, जो निष्ठावान मुसलमानों में से थे, नबी (सल्ल०) की सेवा में आए और कफ़न में लगाने के लिए आपका कुरता मांगा। आपने पूर्ण सहृदयता के साथ प्रदान कर दिया। फिर उन्होंने निवेदन किया कि आप ही इसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएं। आप इसके लिए भी तैयार हो गये। हज़रत उमर (रज़ि०) ने आग्रहपूर्वक कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! क्या आप उस आदमी पर जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे जो यह और यह कर चुका है। मगर हुज़ूर (सल्ल०) उनकी ये सब बातें सुनकर मुस्कराते रहे और अपनी उस दयाशीलता के कारण, जो शत्रु-मित्र सबके लिए समान थी, आपने उस सबसे बुरे शत्रु के लिए भी मग़फ़िरत (मुक्ति) की दुआ करने में संकोच न किया। आख़िर जब आप नमाज़ पढ़ाने खड़े हो गये, तो यह आयत उतरी और अल्लाह के सीधे-सीधे आदेश से आपको रोक दिया गया, क्योंकि अब यह स्थायी नीति निश्चित की जा चुकी थी कि मुसलमानों की जमाअत में मुनाफ़िक़ों को किसी तरह पनपने न दिया जाए और कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे इस गिरोह को प्रोत्साहन मिले।

इसी से यह मसला निकला है कि फ़ासिक़ (अवज्ञाकारी), फ़ाजिर और फ़िस्क़ के लिए प्रसिद्ध लोगों की जनाज़े की नमाज़ मुसलमानों के इमाम और ज़िम्मेदार लोगों को न पढ़ानी चाहिए, न पढ़नी चाहिए। इन आयतों के बाद नबी (सल्ल०) का तरीक़ा यह हो गया था कि जब आपको किसी जनाज़े पर तशरीफ़ ले जाने के लिए कहा जाता तो आप पहले मरने वाले के बारे में पूछ लेते थे कि किस प्रकार का आदमी था, और अगर मालूम होता कि बुरे चलन का आदमी था तो आप उसके घर वालों से कह देते थे कि तुम्हें अधिकार है कि जिस तरह चाहो, उसे दफ़न कर दो।

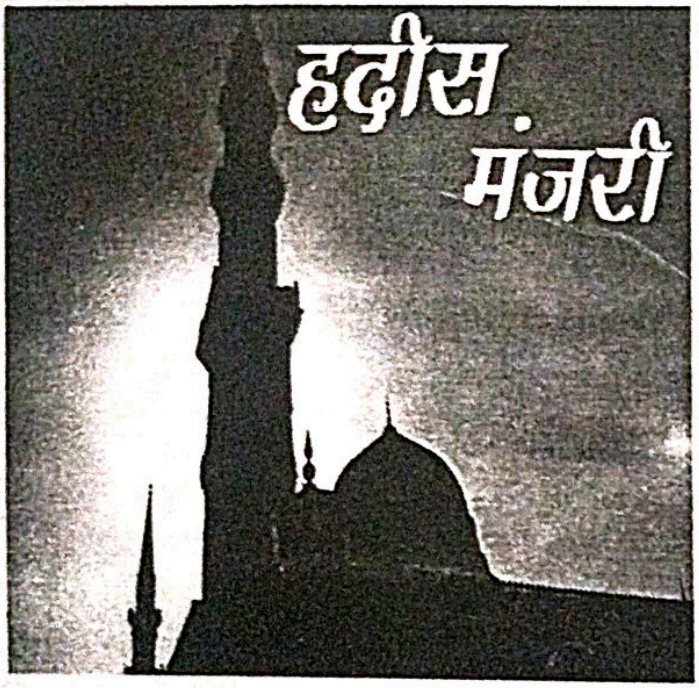

सोने के समय क्या कहे ?

● हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि॰) और हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) बिस्तर पर जाते, तो यह कहते हैं : "बिस्मि-कल-लाहुम्मा अह्या व अमूतु' (ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ जीता हूं और मरता हूं)।" –बुख़ारी

● हज़रत अली (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उनसे और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) से कहा : "जब तुम दोनों अपने बिस्तरों पर जाओ ।" या कहा : "जब तुम दोनों आराम करो, तो तैंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' (अल्लाह सबसे बड़ा है) और तैंतीस बार 'सुबहानल्लाह' (महान है अल्लाह) और तैंतीस बार 'अलहम्दोलिल्लाह' (प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है) पढ़ लिया करो ।" और एक रिवायत में है : 'सुबहानल्लाह' चौंतीस बार कहो ।" और एक रिवायत में है : 'अल्लाहु अकबर' चौंतीस बार कहो ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जब तुममें से कोई अपने बिस्तर पर जाए, तो उसे चाहिए कि वह अपने बिस्तर को अपने तहबंद के भीतरी हिस्से की तरफ़ से झाड़ दे क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसकी अनुपस्थिति में उस पर क्या चीज़ पड़ गयी हो । फिर कहे : 'तेरे नाम के साथ मेरे रब, मैं अपना पहलू (बिस्तर पर) रखता हूं और तेरे नाम के साथ ही उसे उठाऊंगा यदि तू मेरे प्राण को रोक ले (अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए), तो उस पर दया कर और यदि तू उसे छोड़ दे, तो उसकी रक्षा कर जैसा कि तू अपने नेक बन्दों की रक्षा करता है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) जब अपने बिस्तर पर आराम करते, तो सूरह अल-फ़लक़ और सूरह अन-नास पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारते और अपने हाथों को अपने शरीर पर फेरते । –बुख़ारी, मुस्लिम

और बुख़ारी, मुस्लिम की एक रिवायत में है : नबी (सल्ल॰) हर रात जब अपने बिस्तर पर जाते, तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाते, फिर उनमें फूंक मारते और उनमें सूरह अल-इख़्लास, सूरह अल-फ़लक़ और सूरह अन-नास पढ़ते और फिर जहां तक संभव होता अपने शरीर पर हाथ फेरते और इसका आरंभ सिर, चेहरे और अपने शरीर के सामने के भाग से करते । ऐसा आप तीन बार करते । –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझसे कहा : "जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने का इरादा करो, तो उस तरह वुज़ू करो जैसे नमाज़ के लिए वुज़ू किया जाता है । फिर अपने दाहिने करवट पर लेटो और यह पढ़ो : 'ऐ अल्लाह, मैंने अपने प्राण तुझे सौंपे और मैंने अपना मामला तेरे हवाले किया और अपनी पीठ तेरी ओर लगायी तेरी लालसा लिए हुए और तुझसे डरते हुए । तुझसे हटकर न कोई शरणस्थल है और न मुक्ति स्थल है, है तो बस तेरे ही पास । मैं तेरी किताब पर ईमान लाया जो तूने उतारी और तेरे नबी पर जिसे तूने भेजा ।' यदि तुम इस हालत में मर गये, तो तुम सत्य-स्वभाव (इस्लाम) पर मरे । इन्हीं शब्दों को तुम सोने से पहले अपना अन्तिम शब्द बनाओ ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

विकास-संपन्नता के दावों की सच्चाई

कहते हैं, हमारा देश तरक़्क़ी कर रहा है और संपन्नता की नित नयी सीढ़ियां चढ़ रहा है । लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं । प्रधानमंत्री की कई बीमा योजनाएं और जनधन योजना मौजूद है, लेकिन इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है । जिस देश में एक कटोरी दाल के लाले पड़े हों, भुखमरी और आत्महत्या जैसी स्थितियां बार-बार समाज की नियति बन जाती हों, उस देश में 'देश तरक़्क़ी कर रहा है' और 'बुरे दिन बीते रे भैया' जैसे जुमले आम जन पर फ़ब्ती कसने से कम नहीं हैं । 'ग़रीबी हटाओ' का नारा दशकों से सुनते आ रहे हैं, जिसके शब्द तो बदलते रहे, पर केन्द्रीय भाव एक ही रहता है । मगर आश्चर्य है, कभी ग़रीबी नहीं हटी, न ही कम हुई बल्कि ग़रीबी बढ़ती ही जा रही है । इससे उलट अमीरी बढ़ी, नये-नये करोड़पति, अरबपति बने । हमारे देश की ग़रीबी बड़ी मर्मान्तक है । हाल की एक घटना देखिए, जो यह बताती है कि किसी की अंतिम इच्छा एक कटोरी दाल हो सकती है । कैसे कोई पूरी उम्र एक कटोरी दाल के लिए तरसता रह सकता है । ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जब मौत के निकट हो तो उसका परिवार दाल के लिए पड़ोसियों के घर दौड़ रहा हो । पूरी उम्र वह औरत एक कटोरी दाल के लिए तरसती रही । अरहर, मसूर, चना, मूंग या उड़द का विकल्प नहीं था उसके पास । जब उसने ग़रीबी से हारकर ज़हर खा लिया तो अपने अपाहिज पति से कहा अब तो जा रही हूं । आख़िरी इच्छा है मेरी, जाते हुए दाल तो चखा दो । एक मरती हुई औरत अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ आख़िरी ख़्वाहिश के तौर पर एक कटोरी दाल मांग रही थी । उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा, तहसील तरबगंज के गांव अकौनी में ऋतु बस इस दुनिया को छोड़ने से पहले दाल का स्वाद चख लेना चाहती थी । अपनी पत्नी की इस इच्छा के सामने बहुत बेचारा था उसका पति । क्योंकि घर में दाल नहीं थी इसलिए पड़ोसी के आगे कटोरी फैलानी पड़ी । तब जाकर वह अपनी पत्नी के लिए एक कटोरी दाल का इन्तिज़ाम कर पाया । यह भी एक विडंबना ही है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दाल की क़ीमतें ही अधिक बढ़ी हैं ।

खाद्य मंत्रालय की प्राइस मॉनीटरिंग सेल के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक़, 26 मई 2014 से 22 मई 2015 के बीच दिल्ली में उड़द दाल 71 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 109 प्रति किलो यानी 54 प्रतिशत महंगी हो गयी । यही हाल अरहर की क़ीमतों में भी दिखा । अरहर दाल पिछले साल 26 मई 2014 को 75 प्रति किलो थी, जो 22 मई 2015 को बढ़कर 108 रुपये प्रति किलो हो गयी, यानी 44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी । चना दाल पिछले एक साल में 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 68 प्रति किलो यानी 36 प्रतिशत महंगी हुई और मसूर दाल इस दौरान 70 प्रति किलो से 94 प्रति किलो यानी 35 प्रतिशत महंगी हुई । अब दाल व्यापारियों की आशंका है कि आने वाले दिनों में दाल की क़ीमतें और बढ़ेंगी । अगर ऐसा हुआ और सरकार कारगर क़दम उठाने में नाकाम रही, तो आम जन का जीवन और दूभर हो जाएगा और एक कटोरी दाल के लिए उसे दूसरों के आगे बार-बार हाथ पसारने के लिए बाध्य होना पड़ेगा एवं ख़ाली पड़े जनधन खाते उसकी भूख नहीं मिटा पाएंगे । इन खातों में जो रक़म है, वह भी तो मध्य वर्ग की है...ग़रीबों का कोई पुरसानेहाल नहीं है !

ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में पांच साल तक की उम्र के 45 फ़ीसदी बच्चे कुपोषित पाये

गये हैं । इस उम्र के 48 फ़ीसद बच्चों का विकास उनकी उम्र के हिसाब से बेहद कम पाया गया और 25 फ़ीसद से भी अधिक बच्चों की स्थिति बेहद बुरी पायी गयी । एक चिंतनीय बात जो इन आंकड़ों में सामने आयी वह यह है कि इन कुपोषित और बेहद कमज़ोर हालत वाले बच्चों में ज़्यादातर संख्या लड़कियों की है । परिवार में लड़कों को अच्छा पौष्टिक खाना देने वाले ज़्यादातर परिवार लड़कियों को वही पौष्टिक खाना नहीं देते । मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स इंडिया नाम की संस्था के मेडिकल एक्टिविटी मैनेजर ज़ियाउल हक़ ने बताया कि पांच महीने के एक स्वस्थ बच्चे का आदर्श वज़न कम-से-कम 5 किलो होना चाहिए, लेकिन उनके पास ज़्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जिनका वज़न 2.5 साल की उम्र में भी महज़ 5 किलो होता है । उन्होंने बताया कि उनके पास आने वाले कुपोषित बच्चों में लड़कियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है । संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के अनुसार, कुपोषण से मरने वाले बच्चों की सालाना तादाद 30 लाख है । कुपोषण के कारण इन बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होती है । आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण का स्तर लड़कों से कई गुना ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है । एम॰एस॰एफ़॰ इंडिया द्वारा फ़रवरी 2009 से सितम्बर 2011 के बीच कराये गये एक अध्ययन में यह बात सामने आयी कि संस्था के दरभंगा केन्द्र पर इलाज के लिए आये 8000 बच्चों में तक़रीबन 62 फ़ीसदी संख्या लड़कियों की थी । यह बात इस लिहाज से भी चौंकाने वाली है कि दरभंगा ज़िले की कुल आबादी में पांच साल के कम उम्र के बच्चों की कुल तादाद में लड़कियों की संख्या केवल 47 फ़ीसदी ही है । ज़ाहिर है, इस विपम और विकट स्थिति से उबरने की दिशा में हमें अभी बहुत कुछ करना है, जिसकी ओर सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतही प्रयास सदैव निरर्थक और असफल ही होंगे ।

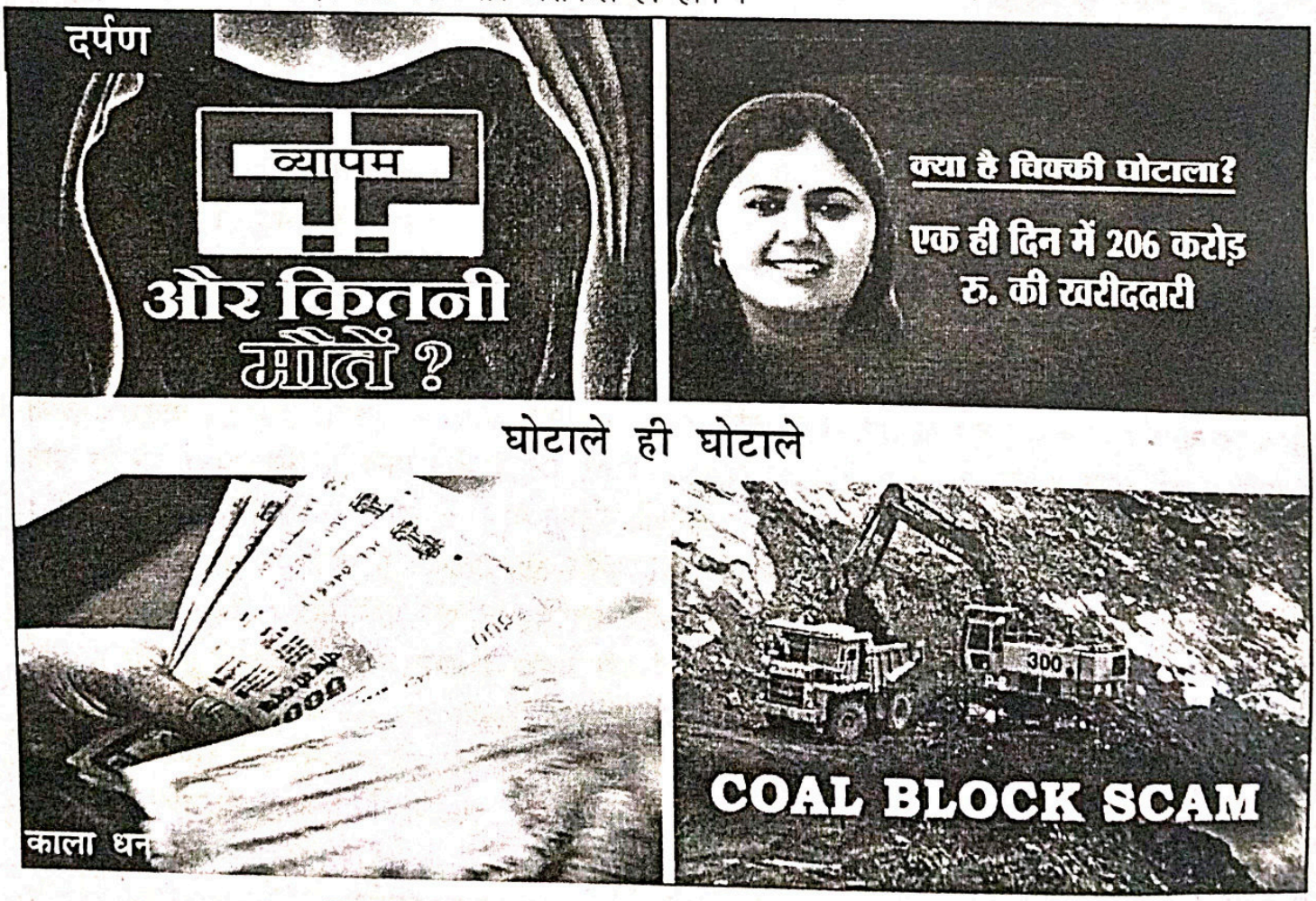

यह कैसा इन्साफ़ है ?

शादी से पहले लड़कियों द्वारा आत्महत्या करने पर परिवार का कोई भी सदस्य किसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है और न ही कोई भी किसी को मौत का ज़िम्मेदार ठहराता है । आत्महत्या की वजह भी किसी को पता नहीं होने देते हैं । अक्सर घर वाले मृत लड़की पर ही दोष मढ़ देते हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वह बहुत ज़िद्दी स्वभाव की थी, भाई के डांटने पर उसने ऐसा कर लिया है । यही सारी बातें बता-बताकर मामले को शांत करते हैं । और ऐसा करने में वे कामयाब भी हो जाते हैं । मृत लड़की के परिवार के सभी लोग बहुत जल्दी नार्मल भी हो जाते हैं ।

जब इसी तरह की कोई लड़की ससुराल में पति से किसी बात को लेकर या ससुरालीजनों की बात का बुरा मानकर तैस में आकर आत्महत्या कर लेती है तो उस लड़की के मां-बाप व उसके परिवार के लोग पति के साथ-साथ पति के मां-बाप व भाई-बहनों तथा शादीशुदा बहनों को (जो कई सालों से अपने ससुराल में रह रही होती है) मौत का ज़िम्मेदार ठहराते हैं । और दहेज हत्या का झूठा आरोप लगाकर सभी के ख़िलाफ़ की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं । मृतका के परिवार वाले मृत्यु का क़ारण दहेज उत्पीड़न ही बताते हैं शायद लड़की के परिवार वालों को मृत्यु के बाद ही पता चलता है कि उनकी लड़की के साथ सालों से दहेज उत्पीड़न होता रहा है । क्योंकि ज़्यादातर मामलों में दहेज उत्पीड़न की बात लड़की के मृत्यु के बाद ही सामने आती है । दहेज उत्पीड़न की बात बताकर मामला व माहौल को ख़ूब गर्म किया जाता है । और ऐसा करने में वे लोग कामयाब भी हो जाते हैं । पति व पति के परिवार वालों पर तरह-तरह के झूठे आरोप लगाते हैं कि ससुराल वाले अक्सर दहेज मांगते थे, दहेज कम लाने का अक्सर ताना मारा करते थे व लड़की को हफ़्तों भूखा रखते थे और अक्सर मारते-पीटते थे । यही सारे आरोप लगाते हैं और कई वर्ष तक नार्मल भी नहीं होते हैं ।

लड़की के मां-बाप व परिवार की सोच कितनी बदल जाती है । अगर यही लड़की शादी से पहले अपने मां-बाप के यहां आत्महत्या करती तो सभी की सोच कुछ और होती, ऐसी लड़कियों का तो पति होना भी एक अभिशाप है । क्योंकि ऐसी ही एक घटना का मैं भी शिकार हूं । जो लड़की के मां-बाप व परिवार की ग़लत सोच की वजह से मैं 33 महीने से, कुछ 4-5 साल से और कुछ लोग 7-8 साल से निर्दोष होते हुए भी जेल में पड़े हुए हैं । लड़की के मां-बाप की ग़लत सोच की वजह से बहुत सारे लोगों का घर परिवार बिखर जाता है । और पति के छोटे-छोटे भाई-बहनों व मासूम बच्चों का भविष्य भी बरबाद हो जाता है । जबकि ज़्यादातर मामलों में मृत्यु का कारण दहेज उत्पीड़न नहीं होता है । अगर मृत्यु का कारण होता है तो मां-बाप के दबाव में आकर न चाहते हुए भी नापसन्द लड़के के साथ मजबूरी में शादी करनी पड़ती है, जिससे शादी के बाद पति व ससुराल में तालमेल नहीं बैठता है । दूसरा कारण काल्पनिक ख़ाहिशों का पूरा न होना भी है ।

भारतीय संयुक्त परिवार में तो ससुराल उत्पीड़नों में सास, ननद व देवर इत्यादि लोगों की भूमिका हुआ करती थी, परन्तु जब से पति-पत्नी परिवार से अलग रहने की चलन बढ़ी है, तब वहां पर पति-पत्नी के विवाद में परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका नहीं होती है । ऐसे में मृतका के मां-बाप व सगे-संबंधियों द्वारा पति के साथ दूसरों को फंसाना ग़लत है । दहेज संबंधी मामलों में क़ानून को विशेष ध्यान देना चाहिए परन्तु क़ानून ध्यान देने के बजाय बिना जांच-पड़ताल के ही पति व पति के परिवार के सभी लोगों के ऊपर दहेज हत्या की धारा लगाकर जेल भेजना ही अपना कर्तव्य समझता है । घटना की सही जांच-पड़ताल न होने के कारण ही दहेज हत्या का मामला दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है । दहेज के मामले में पति पक्ष के लोगों को बड़ी मुश्किल से ज़मानत मिल पाती है ।

कई वर्षों बाद भी पति को ज़मानत नहीं मिल पाती है । जबकि कई बार क़ानून के सिपाहियों के उत्पीड़न से सिपाहियों के हाथों से न जाने कितनों की जान चली जाती

है । ऐसे हत्यारे सिपाहियों को आसानी से ज़मानत मिल जाती है । और दूसरे संगीन मामलों में जहां पेशेवर अपराधी बार-बार अपराध करता रहता है, जबकि उस पेशेवर अपराधियों के ऊपर पहले से ही अपहरण, लूट, वसूली व हत्या जैसे 20-25 संगीन मुक़दमे लगे होते हैं । वे सज़ायाफ़्ता भी होते हैं । फिर भी उन पेशेवर अपराधियों को ज़मानत मिल ही जाती है ।

दहेज व पति-पत्नी के विवाद के मामलों में अभियुक्त पेशेवर अपराधी नहीं होता है । और न ही भागने की संभावना रहती है । ऐसे में पति को ज़मानत न मिलना न्यायपालिका की विसंगतियों को दर्शाता है व सज़ा के बग़ैर पति को जेल में रखना संविधान के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, इससे यह प्रतीत होता है कि पतियों को पेशेवर अपराधियों व हत्यारे सिपाहियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है । शायद इसी लिए पति को ज़मानत नहीं मिलती है । और पतियों को कई वर्षों तक जेल में रखने के बाद फ़ैसला होता है । सारी गवाही व साक्ष्य पति पक्ष के ख़िलाफ़ होने पर पति सहित सभी को सज़ा मिलना लाज़िमी है और संयोग से सारी गवाही व साक्ष्य पति पक्ष में हो तो भी विवेक से सभी को दोषी मान लिया जाता है ।

जिस न्यायालय ने पति सहित सभी को सज़ा सुनाकर मृतका के परिजनों के साथ जो न्याय करते हैं, दरअस्ल वह न्याय मृतका के परिजनों ने अपना 4-5 साल का क़ीमती समय व पैसा बरबाद करके न्याय हासिल करते हैं । उन्हें न्याय मिलता नहीं है । इस देश का यह कैसा न्यायालय है जो सिर्फ़ मृतका व मृतका के परिजनों के बारे में ही सोचता है, उन जीवित पति के परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचता कि पति के बेसहारा मां-बाप व छोटे-छोटे भाई-बहनों का क्या होगा और पति के मासूम बच्चों के भविष्य का क्या होगा । जो इन सबकी परवरिश, पढ़ाई, लिखाई शादी-ब्याह आदि की ज़िम्मेदारी उसी पति के कंधों पर है । जो कई वर्षों से सैकड़ों की तादाद में हर जेल में पड़े हुए है । यह कैसा भारत देश है ? और इस भारत देश का यह कैसी न्यायपालिका है ? और इस न्यायपालिका का कैसा न्यायालय है ? और इस न्यायालय का ये कैसा इन्साफ़ (न्याय) है । जो इस इन्साफ़ से न मृतका को व न मृतका के परिजनों को और न ही पति के बेसहारा परिवार का कोई भला हुआ है और न ही इस इन्साफ़ से समाज का कोई भला होगा ।

हालांकि इस सुस्त न्याय व्यवस्था व इस क़ानून व्यवस्था से महिलाएं/लड़कियां ससुराल में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ज़रूर हो रही है । या यूं कहें कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । फिर उसी आत्महत्या को ही वादी व मीडिया और क़ानून, न्यायालय के समक्ष दहेज हत्या का रूप देकर पेश करते हैं । जिससे यह घटना दिन-प्रतिदिन समाज व देश भर में फैल रही है । समाज व देश से DOWRY ACT का वायरस ख़त्म करने के लिए घटना की सही जांच-पड़ताल होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग की लड़कियों व महिलाओं की सोच को बदलनी होगी जो ससुराल की छोटी-छोटी बातों का बुरा मानकर अपना अनमोल जीवन समाप्त करने के लिए सदैव उतावली रहती हैं ।

विशेष रूप से मृतका के परिजनों की सोच को भी बदलना होगा । जो लोभ वश के कारण आत्महत्या को दहेज हत्या व पति-पत्नी के आपसी झगड़ों को दहेज उत्पीड़न का कारण बताकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं । तभी यह वाइरस इस देश व समाज से ख़त्म होगा और तभी दहेज हत्या की बढ़ती हुई घटना को रोका जा सकता है ।

मुहम्मद अकबर
कानपुर नगर

स्वस्थ रहें या रोगी : फ़ैसला आपका

मानव जीवन अनमोल है । अतः उसका दुरुपयोग न करें । वर्तमान की उपेक्षा भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है । वास्तव में हमारे अज्ञान, अविवेक, असंयमित, अनियंत्रित, अप्राकृतिक जीवन चर्या के कारण जब शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता से अधिक शरीर में अनुपयोगी, विजातीय तत्व और विकास पैदा होते हैं तो शारीरिक क्रियाएं पूर्ण क्षमता से नहीं हो पाती, जिससे धीरे-धीरे रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । अनेक रोगों की उत्पत्ति के पश्चात ही कोई रोग हमें परेशान करने की स्थिति में आता है । उसके लक्षण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने लगते हैं । शरीर में अनेक रोग होते हुए भी किसी एक रोग की प्रमुखता हो सकती है । अधिकांश प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां, उसके आधार पर रोग का नामकरण, निदान और उपचार करती है । प्रायः रोग के अप्रत्यक्ष और सहयोगी कारणों की उपेक्षा के कारण उपचार आंशिक एवं अधूरा ही होता है । सही

निदान के अभाव में उपचार हेतु किया गया प्रयास अधूरा ही होता है । जो कभी-कभी भविष्य में असाध्य रोगों के रूप में प्रकट होकर अधिक कष्ट, दुख और परेशानी का कारण बन सकते हैं ।

डॉ॰ चंचलमल चोरडिया
जोधपुर (राज॰)

पुनर्जन्म

'कान्ति' का जून 2015 अंक पढ़ा । लंबे अर्से से पुनर्जन्म के संदर्भ में मेरी धारणा यही रही है कि पुनर्जन्म नहीं होता है । अनेक शिक्षाविदों एवं विज्ञान से जुड़े तमाम विद्वजनों से भी तार्किक विवेचनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं है । इस अंक में प्रकाशित "मरणोपरांत जीवन : एक विवेचना" से भी स्पष्ट हुआ कि पुनर्जन्म नहीं होता । कहा गया है कि 'बड़े भाग्य मनुषतन पावा' यानी बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिलता है, तो आख़िर ये सब किस योनी से आ रहे हैं, जिसकी बाढ़ को सरकार रोकना चाहती है । वास्तव में पुनर्जन्म नहीं होता है ।

डॉ॰ राम दुलार सिंह 'पराया'
उदित नगर, चुनार, मिर्ज़ापुर

व्यक्तिगत दुर्गुणों से ही व्यक्ति का पतन होता है

मनुष्यों की बनावट एक समान ज़रूर है पर कोई पतन की ओर बढ़ता है तो कोई ऊपर की ओर । एक प्रश्न एक शिष्य ने गुरु से किया और इसका कारण जानना चाहा । गुरु ने कहा ये दो कमंडल हैं, इन्हें लेकर तालाब की ओर चलो । तालाब चहुंचकर कहा दोनों कमंडलों को तालाब में फेंक दो । जब दोनों को फेंका तो एक तो तैरता रहा और दूसरा डूब गया । गुरु ने समझाया, देखो जिस कमंडल के पेंदे में छेद था वह पानी भरने से डूब गया लेकिन छेदरहित कमंडल तैरता रहा ।

इसी प्रकार मनुष्यों में भी असंयम के दोष होते हैं और जब बाहर की दुष्प्रकृतियां आ जाती हैं तो उसे डूबो देती है । वह समझ गया कि जिनमें दोष या छिद्र नहीं हैं वे ही तैरते रहते हैं । इसीलिए सभी धर्मों में कहा गया है कि दुष्प्रकृतियों से दूर रहना चाहिए और इन्सानियत भी यही कहती है । जहां इन्सानियत का वातावरण है, वहीं जन्नत का निवास है । ज़िन्दगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता सत्कर्म अथवा पुण्य से मिलनी है । यदी हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान और भविष्य सुखमय हो तो अधिक से अधिक सत्कर्म या पुण्य करना चाहिए । क्योंकि ज़िन्दगी में सुख, संपत्ति सत्कर्म अथवा पुण्याई से ही मिलती है । इसे ऐसे भी समझने की ज़रूरत है, एक साधु के तो चारों ओर जमघट लगा रहता है और एक ऐसा पाया जाता है जिसके आगे-पीछे कोई नहीं होता और उसे खाने के भी लाले पड़ते हैं । यह सब खेल है अपने-अपने सत्कर्म और पुण्य का । इसीलिए इस्लाम में दिन में पांच बार नमाज़ अदा करने का आदेश है ताकि उसे हमेशा खुदा का ही ख़याल रहे और वह नेक कामों से जुड़ा रहे । कहा भी है "नेक काम के नतीजे नेक ही हुआ करते हैं ।

घेवरचन्द गोदीका
किशनपोल बाज़ार, जयपुर

रोज़ा और स्वास्थ्य

रोज़ा आत्मा को शुद्धता प्रदान करने के साथ-साथ शरीर को भी ताक़त देता है । रोज़ा यह संदेश देता है कि अच्छा स्वास्थ्य अधिक खाने से नहीं बल्कि कम व संतुलित खाने से बनता है । ज़्यादा खाने से मोटापा आता है और मोटापा स्वास्थ्य नहीं बल्कि बीमारियों की निशानी है ।

अभिषेक जैन
राजापार्क, जयपुर (राज॰)

यातायात पुलिस का दायित्व

यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालक के प्रति यातायात क़ानून के उल्लंघन पर उसके दस्तावेज़ ज़ब्त कर दंडात्मक कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन वे किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद से अपने हाथ खड़े कर लेते हैं । उसे किसी शासकीय चिकित्सालय का रास्ता तक नहीं बताते । यहां तक कि घायल व्यक्ति के रक्तस्त्राव तथा फ्रेक्चर की असहनीय पीड़ा मृत्यु का कारण बन जाती है । अतएव यातायात पुलिसकर्मियों को ऐसा प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिए जिसका उपयोग वे घटना स्थल पर तड़प रहे घायलों पर चिकित्सा के रूप में कर सकें । इस प्रकार से घायलों का जीवन बचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सकती है । आश्चर्य है कि हमारी यातायात पुलिस के पास न कोई दर्द निवारक औषधि रहती है और न ही कोई ड्रेसिंग सामग्री । उनके पास कम से कम फर्स्ट एड बॉक्स तो ज़रूर होना चाहिए ।

मलिक, नागपुर

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

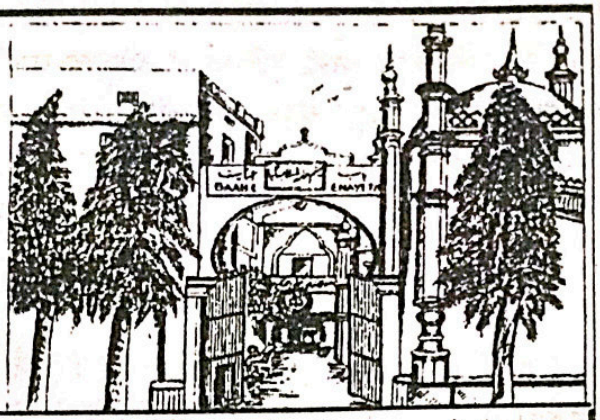

एक दृष्टि में

• दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की मशहूर रिहाइशी पाठशाला • 98 वर्षों की सेवाएं • बहुत से विभाग • शिक्षा के पड़ाव : नर्सरी से मैट्रिक तक • हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक • हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट • पत्राचार शिक्षा 2015-2016 के सत्र के लिए आई०ए०, बी०ए०, एम०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी • कंप्यूटर की भी शिक्षा • किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 16000/- रुपये प्रति वर्ष • कुल वार्षिक ख़र्च 24 लाख से अधिक • आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे • 75 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

• जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए • ज़कात • सदक़े • अतिया • पैदावार की ज़कात • क़ुरबानी की खाल • एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च • अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

• याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Bank IFS Code No. : UBIN 0530042

CORE BANKIN GA/C NO.: 300402010010581, Mobile : 9955655960, 09801213022

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन — एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

विरासत का क़ानून

● संपादन प्रभाग

'विरासत' एक अति प्रचलित शब्द है जिसका भावार्थ होता है अपने वंशजों से कुछ प्राप्त करना, चाहे वह धन-सम्पत्ति के रूप में हो या आदर्श, उपदेश अथवा संस्कार के रूप में ।

परन्तु इस्लामी शरीअत में इस 'पारिभाषिक' शब्द का उपयोग उस धन-सम्पत्ति के लिए किया जाता है जो मृत्यु के समय मृतक के स्वामित्व में रह गयी हो और जिसे दूसरों में वितरित किया जाएगा । इस्लामी शरीअत में इस वितरण का पूर्ण क़ानून है जिसे इस्लामी 'विरासत का क़ानून' कहा जाता है ।

इस्लाम ईश्वर द्वारा निर्धारित एक जीवनशैली का नाम है जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन और क़ानून प्रदान करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके और उसकी समृद्धि और विकास के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो । क्योंकि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है इसलिए इस्लाम ने उसे सुदृढ़ करने पर बहुत ज़ोर दिया है ।

इस्लाम परिवार को एक संस्था के रूप में देखता है । जिस प्रकार एक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों में उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक है, उसी प्रकार इस्लाम भी इस परिवार रूपी संस्था में प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है और उससे आशा करता है कि वह इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण सहयोग देगा ।

परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने से एक सदस्य अवश्य कम हो जाता है पर संस्था समाप्त नहीं होती । ऐसी परिस्थिति में इस्लाम यह उचित समझता है और सुनिश्चित भी करता है कि मृतक की सम्पत्ति का वितरण संस्था के बाक़ी सदस्यों में उनके उत्तरदायित्व के अनुसार हो । अधिकार एवं उत्तरदायित्व के चयन में सदस्यों को आपसी

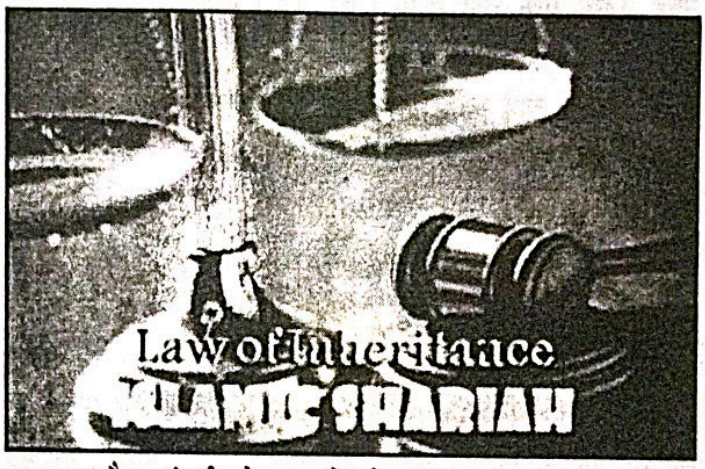

कलह और संघर्ष से बचाने के लिए इस्लाम ने इसका निर्धारण स्वयं कर दिया और मृतक की सम्पत्ति के वितरण का एक विस्तृत क़ानून भी प्रदान कर दिया जिससे उसका वितरण सुचारू रूप से हो सके । इसी क़ानून को 'इस्लामी विरासत का क़ानून' के नाम से जाना जाता है । पवित्र क़ुरआन की निम्नलिखित आयतों में विस्तार से इसका विवरण आया है–सूरा बक़रा : 180, 240, सूरा निसा : 7-12, 14, 19, 33, 176, सूरा माइदा : 75, सूरा अहज़ाब : 6

इन समस्त आयतों के गहन अध्ययन के पश्चात इस्लामी विरासत के क़ानून और इससे संबंधित अन्य विषयों को समझने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है–

1. अनिवार्य अनुपालन

इस्लामी विरासत के क़ानून के अनुपालन को मुसलमानों की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसे अनिवार्य घोषित किया गया है । क़ुरआन की सूरा निसा आयत 13-14 में विरासत के इस क़ानून को ''ईश्वरीय सीमा'' की संज्ञा दी गयी है और इसका उल्लंघन करने वाले को सदैव नरक में डाले जाने के कठोर दंड की चेतावनी भी दी गयी है । एक इस्लामी राष्ट्र का यह कर्तव्य होता है कि वह इसके अनुपालन को सुनिश्चित करे और उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दे ।

2. समस्त सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा

पवित्र कुरआन के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि मृतक की समस्त सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा, चाहे वह धनी रहा हो या निर्धन एवं उसकी सम्पत्ति कम हो या अधिक । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का निर्देश है कि मृतक की समस्त सम्पत्ति का वितरण हर परिस्थिति में अनिवार्य है चाहे उसने एक गज़ कपड़ा ही छोड़ा हो ।

3. हर प्रकार की सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा

सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, नक़दी हो या घर, खेत हो या मवेशी या कोई व्यवसाय, सभी का वितरण किया जाएगा और कुछ भी इस क़ानून से मुक्त नहीं रखा जा सकता । अर्थात मृतक के स्वामित्व में जो भी सम्पत्ति होगी उसका वितरण अनिवार्य है चाहे वह किसी भी रूप में हों ।

4. यह क़ानून मृत्यु के पश्चात ही लागू होता है

विरासत तो कहते ही उस सम्पत्ति को हैं जो मृत्यु के पश्चात किसी के स्वामित्व में रह गयी हो । अत: जीवित व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति पर यह क़ानून लागू नहीं होता और उसे पूर्ण अधिकार है कि अपने जीवन में वह अपनी समस्त सम्पत्ति का क्रय-विक्रय अपनी इच्छानुसार कर सके । इस्लामी विरासत का क़ानून एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही कार्यान्वित होता है । अपने जीवन में ही अपनी समस्त संपत्ति को अपने संभावित उत्तराधिकारियों में वितरित करने का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को है, पर इसे विरासत के वितरण का बदल नहीं बनाया जा सकता ।

5. उत्तराधिकारी कौन ?

इस्लामी विरासत का क़ानून मृतक के परिवार के मात्र किसी एक सदस्य को समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि मृतक से रिश्ते की निकटता के आधार पर सभी सदस्यों में इसका वितरण करता है । निकटतम संबंधी (पति, पत्नी, पुत्री, मां, बाप, दादा) को सबसे अधिक अंश प्राप्त होता है, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम । यहां पर यह बात समझना अतिआवश्यक है कि इस्लाम में इस निकटता का निर्णय संबंधों की मधुरता एवं कटुता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्धारण रिश्तों के आधार पर होता है । संबंधों की कटुता के कारण किसी भी सदस्य को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार संबंधों की मधुरता के कारण किसी को उसके अंश से अधिक नहीं दिया जा सकता है ।

पवित्र कुरआन की आयतों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष भी निकलता है कि इस परिवार रूपी संस्था के बाहर के किसी भी व्यक्ति का विरासत में कोई अंश नहीं होता और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता ।

6. स्त्री और पुरुष दोनों उत्तराधिकार में शामिल

समाज में फैली भ्रांतियों के विपरीत इस्लाम स्त्री को परिवार रूपी संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है और विरासत में उसे भी अधिकार देता है जैसे पुरुष को । वह चाहे मां के रूप में हो या पत्नी, बहन अथवा बेटी के रूप में, इस्लामी विरासत के क़ानून में उसके लिए ईश्वर की ओर से अंश निर्धारित कर दिये गये हैं और किसी को भी उसे इससे वंचित करने का अधिकार नहीं है । स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अंश की मात्रा परिस्थितियों पर निर्भर करती है । कभी स्त्री को पुरुष का आधा अंश प्राप्त होता है, कभी बराबर और कभी पुरुष से दोगुना ।

7. वसीयत

कोई व्यक्ति अगर यह इच्छा रखता हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात परिवार के बाहर के भी किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समाज सेवा के लिए उसकी सम्पत्ति में से कुछ अंश दिया जाए, तो इस्लाम उसे अधिकार देता है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत कर सकता है । इस्लाम मृतक द्वारा की गयी वसीयत का आदर करता है और अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि उसे कार्यान्वित किया जाए ।

इस अधिकार को दुरुपयोग से बचाने के लिए इस्लाम ने इसकी सीमाएं भी निर्धारित की हैं और वह निम्नलिखित हैं–

(1) वसीयत समस्त सम्पत्ति के एक-तिहाई से अधिक की नहीं हो सकती ।

(2) वसीयत उस संबंधी के पक्ष में नहीं हो सकती, जिसके लिए पहले से ही विरासत के क़ानून में अंश निर्धारित कर दिया गया है ।

यह दोनों प्रावधान इसलिए आवश्यक थे कि कहीं कोई व्यक्ति इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग करके अपने संबंधियों को उनके अधिकार से वंचित न कर सके या वह अपनी सम्पत्ति का अधिकांश अंश परिवार के ही किसी सदस्य के

नाम न कर दे ।

8. विरासत का उत्तराधिकारी जीवित व्यक्ति ही हो

विरासत उन्हीं व्यक्तियों में वितरित की जाएगी जो सम्पत्ति मालिक की मृत्यु के समय जीवित होंगे । यदि किसी संबंधी की मृत्यु सम्पत्ति-मालिक से पूर्व ही हो चुकी हो तो उसका नाम उत्तराधिकारी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यही कारण है कि अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन में ही कोई व्यक्ति विरासत के रूप में वितरित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं मालूम की उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों में से कौन जीवित बचेगा और कौन नहीं ।

9. वितरण कौन करेगा ?

विरासत का क़ानून किसी की मृत्यु के पश्चात ही कार्यान्वित होता है इसलिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में ही इसे प्रभाव में नहीं ला सकता । उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी आपसी सहयोग और सहमति से ईश्वर द्वारा दिये गये निर्देश के अंतर्गत इसे लागू करेंगे । इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो वह किसी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकते हैं ।

10. वितरण शीघ्रता से होना चाहिए

चूंकि सम्पत्ति का विवाद प्राय: परिवार में कलह और विघटन का प्रमुख कारण भी बन जाता है, इसलिए इस्लाम चाहता है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का वितरण शीघ्रता से कर दिया जाए जिससे की उसके नये स्वामी का निर्धारण हो सके और परिवार रूपी संस्था सुचारू रूप से चलती रहे ।

11. ऋण

अगर मृतक पर कोई ऋण है तो इस्लाम चाहता है कि उसकी अदायगी मृतक की सम्पत्ति से की जाए । ऋण की अदायगी विरासत के क़ानून के कार्यान्वयन से पूर्व की जाएगी ।

12. हिबा

यहां आवश्यक प्रतीत होता है कि पाठक को इस्लामी क़ानून के एक और नियम "हिबा" से भी अवगत करा दिया जाए जो किसी व्यक्ति के जीवन में ही लागू हो जाता है । इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने जीवन में ही अपने धन-सम्पत्ति की मिल्कियत, पूरी या अंश में किसी भी व्यक्ति को (चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो) या किसी संस्था को दे दे और उन्हें उसका क़ानूनी मालिक बना दे । इस क़ानूनी अधिकार के बावजूद, इस्लाम नैतिक स्तर पर यह पसन्द करता और इसकी शिक्षा भी देता है कि कोई व्यक्ति हिबा के क़ानूनी प्रावधान को इस्तेमाल करके वारिसों को अपने धन-सम्पत्ति से बिल्कुल वंचित (महरूम) न कर दे । वास्तव में, हिबा की क़ानूनी गुंजाइश कुछ असाधारण परिस्थितियों के लिए रखी गयी है, जो किसी व्यक्ति को कुछ विशेष व असामान्य अवस्थाओं में पेश आ सकती हैं ।

वितरण का कार्यान्वयन और उसका अनुक्रम

वास्तविकता तो यह है कि इस्लामी विरासत के क़ानून के कार्यान्वयन का आरंभ मृतक के अंतिम-संस्कार पर आये ख़र्च से ही हो जाता है । विरासत के वितरण का पूर्ण क्रम इस प्रकार है–

(i) अन्तिम संस्कार : मृतक की विरासत से सर्वप्रथम उसके अन्तिम संस्कार पर आये ख़र्च को निकाला जाएगा उससे जो शेष रह जाएगा उस पर अगले चरण का कार्यान्वयन होगा ।

(ii) ऋण की अदायगी : यदि मृतक पर कोई ऋण था तो उसकी अदायगी अन्तिम संस्कार के बाद सम्पत्ति के अवशेष से की जाएगी, इसके बाद ही बची सम्पत्ति अगले चरण में जाएगी ।

(iii) वसीयत : तीसरे क्रम पर वसीयत पूरी की जाएगी । यह वसीयत मृतक के किसी दूर के संबंधी, मित्र अथवा किसी संस्था के नाम से हो सकती है ।

(iv) उत्तराधिकारियों में वितरण : प्रथम तीन चरणों से जो सम्पत्ति शेष बचेगी उसका वितरण मृतक के उत्तराधिकारियों में विरासत के क़ानून के अनुसार किया जाएगा । किसको कितना अंश मिलेगा यह मृतक के उत्तराधिकारियों की संख्या और उससे संबंध पर निर्भर करता है, इसलिए इसका विस्तृत विवरण यहां देना संभव नहीं है । इसकी जानकारी कुरआन में वर्णित आदेशों में, और उनकी व्याख्या इस्लामी विधिशास्त्र की पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती है ।

(v) बैतुलमाल (सरकारी कोष) : संयोग से अगर किसी मृतक का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो उसकी पूर्ण सम्पत्ति बैतुलमाल में जमा कर दी जाएगी, जिससे कि वह समाज के विकास में उपयोग की जा सके ।

इस्लामी विरासत के क़ानून के उद्देश्य

इस्लामी विरासत का क़ानून मात्र सम्पत्ति वितरण का क़ानून नहीं है, बल्कि इससे अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है जो परिवार एवं समाज के लिए आवश्यक हैं । ये मुख्यत: तीन हैं–

(1) सम्पत्ति के प्रवाह को रुकने से बचाना : किसी भी समाज में सुख, शान्ति एवं समृद्धि तभी संभव है, जब उसमें सम्पत्ति सदैव प्रवाहित होती रहे और कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में सीमित होकर न रह जाए ।

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि समाज में सम्पत्ति सदैव प्रवाह में रहे । यही कारण है कि जब भी इस्लाम को पूर्ण रूप से किसी समाज में स्थापित किया गया है वहां सुख, शान्ति और समृद्धि के द्वार खुल गये हैं और इसका स्वाद हर किसी को चखने को मिला है । सम्पत्ति के संचय से जहां एक ओर इसका वितरण असमान हो जाता है और ग़रीबी फैलती है, वहीं दूसरी ओर आदमी में लोभ और कंजूसी की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है । पवित्र क़ुरआन में ईश्वर ने ऐसा करने वालों को कठोर दंड की चेतावनी दी है ।

आज हमारा पूरा समाज इसी बीमारी से ग्रस्त है और यही कारण है कि जिन लोगों के पास सबसे अधिक धन है वही सबसे अधिक लोभी भी हैं और उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि उन्हीं के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भुखमरी के कारण आत्महत्या करने पर विवश है ।

पूंजीवाद इसी असमान आर्थिक व्यवस्था का प्रचारी है और इसी आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है ।

इस्लाम इसका विरोध करता है और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता है । इसी कारण इसमें ऐसा प्रावधान है कि धन और सम्पत्ति संचित न होने पाये और इसका प्रवाह सुनिश्चित रहे । ज़कात (अनिवार्य धन-दान), सदक़ात (स्वैच्छिक धन-दान) और विरासत का क़ानून इसी प्रावधान का अंश है ।

(2) ये स्मरण कराना की समस्त सम्पत्ति का वास्तविक मालिक ईश्वर है : यह समस्त संसार उसी की सम्पत्ति है, जिसने इसकी रचना की है और वही यथार्थ में इसका स्वामी भी है । मनुष्य अनभिज्ञता में अपने आपको अपनी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी समझ बैठा है और उस पर अपना एकाधिकार समझने लगा है ।

वास्तविकता यह है कि मनुष्य का सम्पत्ति पर अधिकार अस्थायी है और वह मात्र एक प्रतिशासक (Regent) के रूप में है । उसकी मृत्यु के पश्चात उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है और यह उसके वास्तविक स्वामी पर निर्भर करता है कि अब वह अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व पुन: किसे प्रदान करता है । इस्लामी विरासत का क़ानून इसी सत्य का स्मरण कराता है । मृतक की सम्पत्ति को किसमें और कितने लोगों में बंटना है यह ईश्वर का अधिकार है और मनुष्य को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) आदमी को संतोष दिलाना की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति विवाद का कारण नहीं बनेगी : जब सम्पत्ति का वितरण ईश्वरीय निर्देशानुसार होगा तो न तो किसी को आपत्ति होगी और न ही सम्पत्ति का विवाद परिवार के विघटन का कारण बनेगा । यह विश्वास जीवन में भी आदमी के संतोष का कारण बनता है और मृत्यु के समय भी उसे बहुत से कष्टों से मुक्ति दिलाता है ।

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

madrasi

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सीजी)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं॰ 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

दान और दया की महान परंपरा है इस्लाम में

■ विद्या प्रकाश

इस्लाम में उसके उद्‌भव काल से ही दया और दान की अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है । पालनहार अल्लाह का नाम ही अपने आप में अति मेहरबानी, दयालुता और कृपालुता का प्रतीक है । सरवरे कायनात नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया है, 'ऐ लोगो ! मैं रहमत और दया बनाकर भेजा गया हूं ।' इसी सिलसिले में स्पष्टीकरण यह है कि दया यह नहीं है कि तुममें से कोई अपने साथी के साथ करे, परन्तु दया वह है कि साधारण जनता के साथ की जाए । कहने का अभिप्राय यह है कि दया सब जनता के साथ होनी चाहिए, जिसको आप जानते हो या न जानते हो ।

इसी बात को साफ़ करते हुए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है, 'दया करने वालों के ऊपर अल्लाह तआला दया करता है । धरती पर बसने वालों के ऊपर दया करो । आकाश वाला तुम्हारे ऊपर दया करेगा ।'

यदि नबी (सल्ल०) के इस फ़रमान पर 'धरती पर बसने वालों के ऊपर दया करो' के सूक्ष्मार्थ पर चिंतन-मनन किया जाए, तो इस मज़हब की व्यापकता तथा महानता भली-भांति स्पष्ट हो जाएगी जो सकल विश्ववासी मानव समुदाय के लिए रहमत बनाकर उतरा है ।

इस्लाम में बच्चों और स्त्रियों के लिए दया का विशेष भाव है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक बार एक जंग में एक औरत को मृत अवस्था में पाया, तो तुरंत आपने बच्चों और औरतों को क़त्ल करने से मना कर दिया ।

इस्लाम में शुरू से ही दान की बड़ी समृद्ध परंपरा है । ज़कात, ख़ैरात और फ़ितरा हर सामर्थ्यवान मोमिन मुसलमान के लिए अनिवार्य है । ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर है जो हर सामर्थ्यवान मुसलमान को प्रत्येक वर्ष देना पड़ता है । अपनी साल भर की बचत का ढाई प्रतिशत देना अनिवार्य है । यह रक़म ज़रूरतमन्द, ग़रीब, मुहताज में तक़सीम की जाती है जिसके ज़रिये दौलतमन्द लोग अपने धन को शुद्ध करते हैं । ख़ैरात में इस तरह की कोई पाबन्दी तथा अनिवार्यता नहीं है । ख़ैरात में मुसलमान अपनी इच्छा तथा सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद को चाहे जितना दे सकता है जबकि फ़ितरा में ईद की नमाज़ से पहले, अपने किसी ग़रीब रिश्तेदार या मुहताज पड़ोसी को परिवार के प्रत्येक सदस्य को लगभग 3 किलो गेहूं के हिसाब से देना पड़ता है यानी यदि आपके परिवार में दस सदस्य हैं तो आपका लाज़िम फ़र्ज़ है कि आप ग़रीब, मुहताज को तीस किलो गेहूं अथवा उसके मूल्य के बराबर धन प्रदान करें ।

इस प्रकार उनके हृदय में निर्धनों के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है तथा सबके अन्दर परस्पर भ्रातृत्व भावना उत्पन्न होती है । इस प्रकार की व्यवस्था से न धनवान निर्धनों से घृणा करते हैं और न निर्धन धनवानों से ईर्ष्या ।

इस्लाम में इस प्रकार की परंपरागत व्यवस्था साम्यवाद तथा समाजवाद की वर्तमान अवधारणा से काफ़ी प्राचीन, मानवीय मूल्यों पर आधारित, सफल तथा व्यावहारिक है । सामाजिक ग़ैर-बराबरी को समाप्त करने के लिए साम्यवादी विचारधारा जितनी तेज़ी से वैश्विक क्षितिज पर धूमकेतु की तरह प्रकट हुई, उतनी ही तेज़ी से वह व्यावहारिक अर्थ में विफल हो गयी ।

रूस जैसे साम्यवादी व्यवस्था के पोषक शक्ति संपन्न महादेश का कुछ समय पूर्व विखंडन इसका उदाहरण है । पूंजीपति एकाधिकारवादी व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्था के विरुद्ध विकसित साम्यवाद में धनाढ्यों से सम्पत्ति बलात् छीनकर सामाजिक समानता की हिमायत की गयी है । सामान्य नागरिकीय समानता पर बल देने वाले समाजवादी देशों में भी पूंजीवादी मनोवृत्ति छद्‌म में विद्यमान हैं जबकि इस्लाम की मानवीय समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था इनसे कहीं बेहतर, उदार तथा मुस्तक़िल है जिसमें अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा ज़कात, ख़ैरात और फ़ितरा की शक्ल में अपनी मर्ज़ी से बिना किसी प्रकार के ज़ोर-दबाव से ज़रूरतमंद ग़रीबों, लाचार, मजबूर और मुहताज लोगों को देने का प्राविधान है । दान और दया जैसे इन्सानी और धार्मिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक समानता की यह इस्लामी व्यवस्था इन्सानियत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो संसार के अन्य धर्मों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं में नहीं पायी जाती । ईदुल-फ़ित्र का त्योहार साल में एक बार आकर हमें मज़हबे इस्लाम की दान और दया की इसी महान परंपरा की याद दिला जाता है ।

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

डॉ॰ अंबेडकर, इस्लाम और मुसलमान

● आर॰ एस॰ आदिल
(एडवोकेट)

जहां मुसलमानों ने दलित वर्ग की क़दम-क़दम पर सहायता की है वहीं बाबा साहब ने भी इस्लाम धर्म और मुसलमानों की दिल खोलकर प्रशंसा की है । बाबा साहब यदि किसी धर्म को दिल से सबसे ज़्यादा पसन्द करते थे तो वह केवल इस्लाम धर्म ही है । उदाहरण के लिए उन्हीं के शब्द आगे अंकित किये जा रहे हैं–

''ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में जो समानता की शिक्षा दी गयी है उसका संबंध विद्या, धन-दौलत, अच्छे कपड़े और बहादुरी ऐसे बाह्य कारणों से कुछ भी नहीं है । मनुष्य का मनुष्यत्व यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह इस्लाम और ईसाई धर्म की बुनियाद है और यह इन्सानियत सबको मान्य होनी चाहिए । किसी को असमान नहीं मानना चाहिए । यह शिक्षा वे (इस्लाम और ईसाई) धर्म देते हैं ।''

('दलित वर्ग को धर्मान्तरण की आवश्यकता क्यों ?', पृष्ठ-23)

''धार्मिक संबंध के कारण तुर्कों का गठजोड़ अरबों से रहा । इस्लाम धर्म का संयोग मानवता के लिए बहुत प्रबल है, यह बात सबको ज्ञात है । इस्लामी बंधुत्व की दृढ़ता की प्रतियोगिता कोई अन्य सामाजिक संघ नहीं कर सकता ।''

(पृष्ठ-244, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, लेखक डॉ॰ अंबेडकर)

बाबा साहब ने कहा कि तीन धर्म हैं इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म जिनमें से दलित वर्ग को अपनाना है । फिर साथ ही कहते हैं कि तीनों की तुलना करने पर इस्लाम दलित वर्ग को वह सब कुछ देता हुआ प्रतीत होता है जिसकी उसको आवश्यकता है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि बाबा साहब डॉ॰ अम्बेडकर इस्लाम धर्म को बड़े ही श्रद्धाभाव से देखते थे । वे इसकी बुनियाद इन्सानियत मानते थे । वे इस्लामी संघ को संसार में सुदृढ़ भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक एवं प्रगतिशील संघ मानते थे । फिर क्यों न हम अपनी मूल समस्या के समाधान के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णरूप से सक्षम, सामाजिक दासता की बेड़ियों को काटकर फेंकने के लिए और बाबा साहब डॉ॰ अंबेडकर के सपनों को साकार बनाने के लिए इस्लाम जैसे प्यारे धर्म को अपनाएं जिससे कि सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर लें और अपने परलोक को भी सुधार लें । आइए हम भी इस्लाम की शीतल छाया की ओर चल पड़ें ।

राष्ट्रीयता के नाम पर

कुछ लोग बाबा साहब की उस उक्ति को सामने रखना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा बताते हैं कि 'हम लोग यदि ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे तो हमारी भारतीयता में अन्तर आ जाएगा । याद दखिए धर्म परिवर्तन के साथ राष्ट्रीयता में कोई अन्तर नहीं आता है । यदि ऐसा ही वे देश भी सोच लेते जहां के लोग आज बौद्ध धर्म को मानते हैं तो बौद्ध धर्म किसी भी अन्य देशवासियों ने न अपनाया होता, क्योंकि वह उनके देश में पैदा हुआ धर्म नहीं है । इस स्पष्टीकरण के साथ ही इस प्रसंग में बाबा साहब की ही यह उक्ति अधिक ध्यान देने योग्य है कि वे (सवर्ण हिन्दू) राष्ट्रीयता के नाम पर हिन्दू निम्न वर्ग (दलित वर्ग) को धोखा दे सकते हैं परन्तु अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वे मुस्लिम क्षेत्र की मुस्लिम जनता को मूर्ख नहीं बना सकते । इसके साथ ही वहीं पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 'लिंकन का यह कथन सटीक है कि तमाम समय सब लोगों को मूर्ख बना सकना संभव नहीं है ।'

(पृष्ठ 114-115 'पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन' लेखक डॉ॰ अंबेडकर, जुलाई 1972 संस्करण)

कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम विज्ञान को अपना शत्रु मानता है । परन्तु बाबा साहब इसके उत्तर में कहते हैं कि, ''यह सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि इसमें यथार्थता होती तो जगत के अन्य मुस्लिम देशों में परिवर्तन, पूछताछ तथा सामाजिक सुधार की भावना की हलचल क्यों दिखायी देती ?'

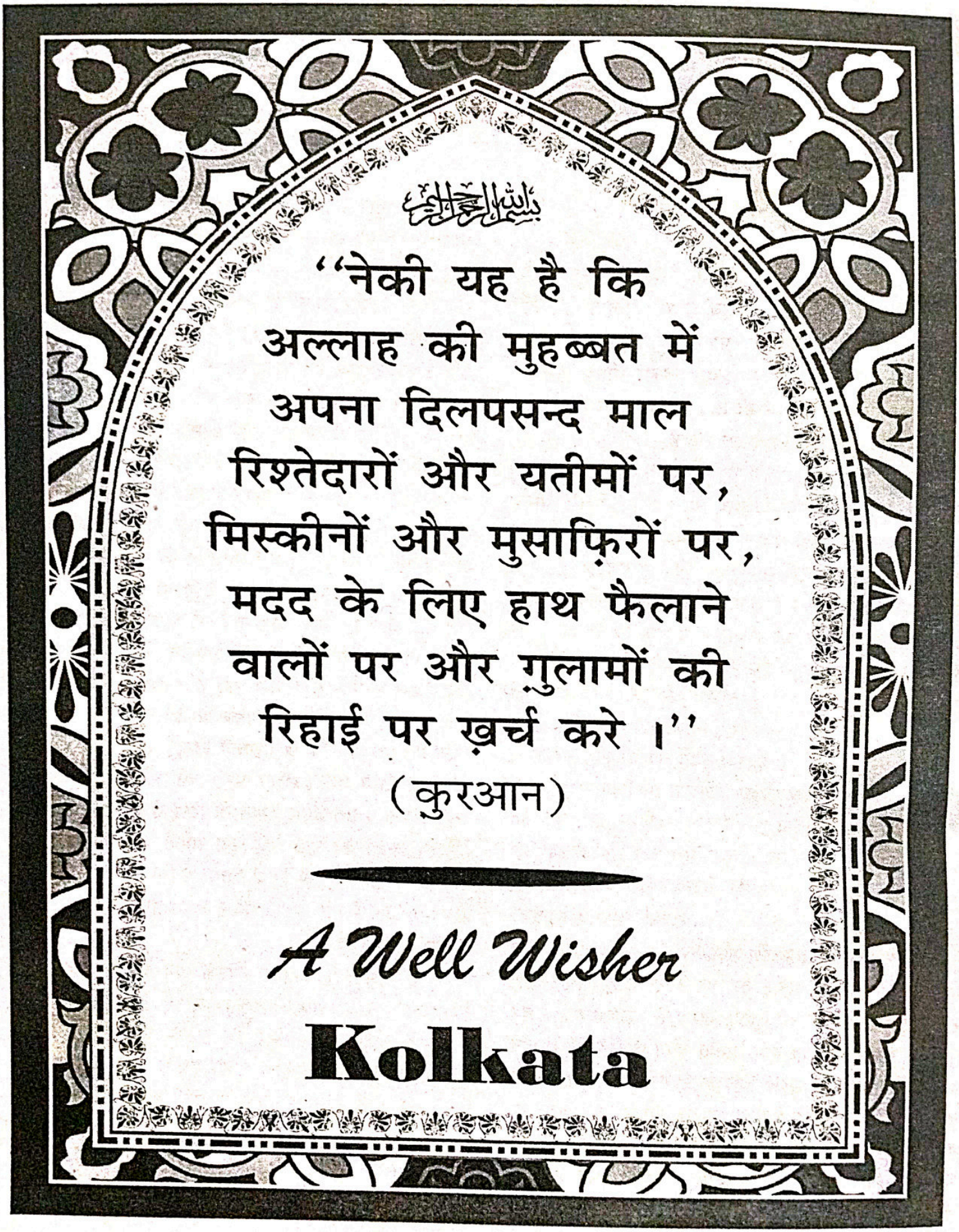
بسم الله الرحمن الرحيم
"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"
(क़ुरआन)
A Well Wisher
Kolkata

यदि इन मुस्लिम देशों के सामाजिक सुधार में इस्लाम ने कोई व्यवधान नहीं डाला तो भारतीय मुसलमानों के सुधारवादी मार्ग में कोई बाधा क्यों पड़नी चाहिए ? भारत में मुस्लिम जाति की उक्त गतिशून्यता का कोई विशेष कारण अवश्य है । वह विशेष कारण क्या हो सकता है ? मेरी समझ में भारतीय मुसलमानों में उक्त गति शून्यता का मुख्य कारण उनकी वह विशिष्ट स्थिति है जिसमें वे रह रहे हैं । वे एक ऐसे सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं जो मुख्य रूप से हिन्दू है और जो उन पर चुपचाप परन्तु दृढ़तापूर्वक अपना प्रभाव डाल रहा है ।'

(पृष्ठ 267 'पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन' लेखक डॉ॰ अंबेडकर)

क्या मुसलमानों में भी जातिवाद है ?

बाबा साहब ने इस संबंध में कहा है–

''धर्मान्तर के रास्ते में और भी एक अड़ंगा डाला जाता है । जाति भेद ग्रस्त होकर धर्मान्तर करने में कुछ भी लाभ नहीं है । इस प्रकार का युक्तिवाद कुछ मूर्ख हिन्दू लोग ही करते हैं । वे तर्क देते हैं–कहीं भी जाइए वहां पर भी जाति भेद ही है । ईसाइयों में भी जाति भेद है और मुसलमानों में भी । अफ़सोस से यह बात क़बूल करनी पड़ती है कि इस देश के अन्य धर्म समाजों में भी जातिभेद का प्रवेश हुआ है किन्तु इस अपराध के अपराधी हिन्दू लोग ही हैं । मूल में यह रोग उन्हीं से उत्पन्न हुआ है । उसका संसर्ग फिर अन्य समाजों को लगा है । यह उनकी दृष्टि से नाक़ाबिल बात है । ईसाई और मुसलमानों में यदि जाति भेद है भी तब भी वह जाति भेद हिन्दुओं के जाति भेद जैसा ही है, यह कहना 'चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर' वाली बात है । हिन्दुओं में जातिभेद और मुस्लिम तथा ईसाइयों में जाति भेद इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मुसलमानों और ईसाइयों में जाति भेद होने पर भी वह उनके समाज का प्रमुख अंग नहीं है । हिन्दुओं को छोड़कर यदि दूसरों से आप यह पूछते हैं कि आप कौन हैं तो वे कहेंगे–मैं मुसलमान हूं, या ईसाई हूं । इतना ही उत्तर मिलने पर सबका (उत्तर देने वाले का और प्रश्न पूछने वाले का) समाधान हो जाएगा । तेरी जाति क्या है ? यह पूछने की या बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है । किन्तु यदि आप किसी हिन्दू से पूछते हैं–''तुम कौन हो ?'' तो वह उत्तर देता है कि मैं हिन्दू हूं' तो इससे किसी का भी समाधान होने वाला नहीं है । न ही प्रश्न पूछने वाले का और न ही उत्तर देने वाले का । फिर प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है ? जब तक वह अपनी जाति का नाम न बताए किसी को भी उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू समाज में जाति-पाति को कितनी प्रधानता दी गयी है और ईसाई और मुस्लिम समाज में जाति को कितना गौण स्थान दिया गया है । यह बात स्पष्ट हो जाती है ।''

('दलित वर्ग को धर्मान्तर की आवश्यकता क्यों है ?' पृष्ठ 40 से)

''इसके अतिरिक्त हिन्दू और अन्य समाजों में और भी एक महत्वपूर्ण फ़र्क़ है । हिन्दुओं के जाति भेद के मूल में स्वयं उनका हिन्दू धर्म है । मुस्लिम और ईसाइयों के जाति भेद के मूल में उनके धर्म की स्थापना नहीं है । हिन्दुओं में जाति भेद समाप्त करने में उनका धर्म इसमें अड़ंगा बन जाता है किंतु ईसाई और मुसलमान लोगों ने अपना आपस का जातिभेद नष्ट करने का प्रयास किया तो उनका धर्म इसमें अड़ंगा नहीं बनता, बल्कि उनका धर्म जातिभेद को हतोत्साहित करता है । हिन्दुओं को अपने धर्म का विध्वंस किये बिना जाति विध्वंस करना संभव नहीं है । मुस्लिमों और ईसाइयों को जाति विध्वंस करने के लिए अपना धर्म विध्वंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जाति विध्वंस के काम में उनका धर्म अड़ंगा बनने वाला नहीं है । जातिभेद सबमें और सभी ओर है, यह क़बूल करने पर भी हिन्दू धर्म मे ही रहो, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । जाति भेद यह चीज़ यदि बुरी है तो जिस समाज में जाने पर जाति भेद की तीव्रता, जाति भेद का विनाश, शीघ्र, सहजता से और मूलरूप से नष्ट किया जा सकता है, यही वास्तव में तर्क सिद्ध सिद्धांत है, ऐसा मानना पड़ेगा ।''

('दलित वर्ग को धर्मान्तर की आवश्यकता क्यों है ?' के पृष्ठ-41 से)

For Information On
City Shops, RoaosQ, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

यद्यपि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि मुसलमानों में जाति-पाति केवल सुविधा के लिए है । ईर्ष्या, द्वेष या घृणा के लिए नहीं । फिर भी यदि इसे दोष के रूप में लें तो भी मुसलमानों में जातिवाद इतना गहरा नहीं जितना हिन्दुओं में है, क्योंकि इस्लाम धर्म में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि हिन्दुओं में जातिवाद उनके धर्म का अभिन्न अंग है ।

अत्यंत गंभीरता से सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ़ जातिवाद ही हमको परेशान कर रहा है ? ऐसी बात बिल्कुल निराधार है । केवल जातिवाद ही किसीको परेशान नहीं कर सकता । यदि हमारे लोगों को चमार कहा होता और हमें पूरी मुहब्बत और इज़्ज़त दी होती तो हमें क्या परेशानी थी ? यदि केवल जातिवाद ही परेशान करने वाला हो तो सवर्ण हिन्दुओं में भी तो अलग-अलग जातियां हैं और यहां तक कि उनकी भी शादियां आपस में एक दूसरी जातियों में नहीं होती हैं । ऐसा होने पर भी बताइए ब्राह्मण से क्षत्रिय या वैश्य कहां परेशान हैं ? या क्षत्रिय से ब्राह्मण और वैश्य कहां दुखी हैं ? आदि-आदि । बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तो बेहद सौहार्द, प्रेम एवं सहयोग के साथ रहते हैं ।

स्वयं अपनी तरफ़ देखिए–दलित वर्ग में भी तो अनेक जातियां हैं और उनमें भी एक दूसरे में शादियां नहीं होती हैं । इसके बावजूद भी बताइए भंगी चमार से कहां परेशान हैं ? चमार, भंगी से या खटीक से कहां परेशान हैं ? रैगर चमार से या धानक से कहां परेशान हैं ? कहने का तात्पर्य यह है कि केवल अलग-अलग जातियां होने से ही कोई परेशान नहीं है । केवल आप चमार जाति को ही देख लें । इसमें भी कई जातियां बन गयी हैं और यहां तक कि इनमें भी आपस में शादियां नहीं होती हैं । चमड़ा रंगने वाले चमार के साथ नौकरी-पेशा या खेती करने वाला चमार कभी शादी संबंध नहीं करता है । लेकिन यदि चमड़ा रंगने वाले चमार पर कोई ज़ुल्म ढाया जाता है तो नौकरी पेशे वाला चमार व्याकुल हो उठता है और उसकी सामर्थ्य अनुसार सहायता के लिए भी तैयार रहता है । ठीक इसी प्रकार यदि नौकरी या खेती करने वाले चमार पर कोई ज़ुल्म या अत्याचार होता है तो चमड़ा रंगने वाला चमार और अन्य चमार बहुत दुखी होते हैं और उसे अपने ऊपर हुआ ज़ुल्म और अत्याचार समझते हैं । ऐसा क्यों होता है ? इसलिए कि उनमें आपस में घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर प्यार, लगाव व सहानुभूति है ।

कुछ भाई इस प्रकार की शंका पैदा करने लगते हैं कि धर्मान्तरण के बाद हमारी या हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी ? इस सिलसिले में यह समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले तो मुसलमान ही ब्याह शादियों के लिए तैयार रहते हैं और सदियों से भारतीय मुस्लिम समाज में यह सिलसिला जारी है । दूसरे हम आपस में भी तो रिश्ते कर सकते हैं ।

मुसलमानों में जब किसी बढ़ई, लुहार या सक्के के बेटे की बारात सज-धजकर शान से निकाली जाती है तो कोई भी शेख़, सैयद, मुग़ल या पठान उसमें बाधा नहीं डालता है, लेकिन हिन्दुओं में यदि किसी चमार या भंगी के बेटे की बारात सज-धजकर निकाली जाती है तो उसमें विघ्न डाला जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, कहीं उन्हें पीटा जाता है, और कहीं उनको ज़िन्दा जला दिया जाता है । कफल्टा में दूल्हे के घोड़ी पर चढ़े होने के कारण ही 14 बारातियों को ज़िन्दा जला दिया गया था । तात्पर्य यह है कि मुसलमानों में जाति के नाम पर घृणा, द्वेष या ईर्ष्या नहीं है जबकि हिन्दुओं में जाति के नाम पर हमसे घृणा, द्वेष और ईर्ष्या है जिसकी वजह से हम पर तरह-तरह के अत्याचार किये जाते हैं । अत्याचारों के इस सिलसिले को केवल इस्लाम ही समाप्त कर सकता है । मुसलमान होकर व्यर्थ की घृणा, द्वेष व अत्याचारों से बचा जा सकता है, जो हमारी मूल समस्या है । इस्लाम क़बूल करने से जहां यह दुनियावी समस्या हल हो जाती है वहीं हम अपने परलोक को सुधारने का रास्ता भी पा लेते हैं ।

इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं

● ईश्वर एक है, उसका कोई साझी नहीं । वह अकेला है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं । वह अत्यंत कृपाशील और दयावान है ।

● ईश्वर अपने बन्दों के प्रति इतना उदार है कि उनकी ग़लतियों और भूलों को क्षमा कर देता है बशर्ते कि वे उसकी ओर रुजू करें ।

● जिन लोगों ने ईश्वर का भय रखा और परहेज़गारी का जीवन बिताया उनके लिए स्वर्ग है । और जिन्होंने ईश्वर का इन्कार किया और सरकशी का जीवन बिताया उनका ठिकाना निश्चित रूप से नरक है ।

● जो व्यक्ति झूठ न बोले, वादा करके न तोड़े, अमानत में ख़ियानत न करे, आंखें नीची रखे, गुप्त अंगों की

रक्षा करे और अपने हाथ को दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचाने से रोके, वह जन्नत में जाएगा ।

● घमंड से बचो । घमंड ही वह पाप है जिसने सबसे पहले शैतान को तबाह किया ।

● आपस में छल-कपट और वैर न रखो । डाह और ईर्ष्या न करो, पीठ पीछे किसी की बुराई न करो । तुम सब भाई-भाई हो ।

● शराब कभी न पियो ।

● जीव-जन्तुओं को अकारण मत मारो ।

● माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो । मां-बाप की ख़ुशी में ईश्वर की ख़ुशी है ।

● बाल-बच्चों की अच्छी देखभाल करो और उनको अच्छी शिक्षा दो ।

● किसी इन्सान को किसी पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है । हां, वह इन्सान सर्वश्रेष्ठ है जिसके कर्म अच्छे हैं । चाहे उसका संबंध किसी भी देश अथवा संप्रदाय से हो ।

● ब्याज़ खाना और ब्याज का कारोबार हराम (अवैध) है ।

● नाप-तौल में कमी न करो ।

● सबके साथ न्याय करो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों या दुश्मन ।

● अगर कोई किसी इन्सान को नाहक क़त्ल करता है तो मानो उसने सारे इन्सानों की हत्या कर दी । और अगर कोई किसी इन्सान की जान बचाता है तो मानो उसने सारे इन्सानों को ज़िन्दगी बख़्शी ।

● सफ़ाई-सुथराई आधा ईमान है ।

● वह आदमी मुसलमान नहीं जो ख़ुद तो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे ।

● सारे इन्सानों को मरने के बाद ख़ुदा के सामने हाज़िर होना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है । यह दुनिया तो इम्तिहान की जगह है । यहां हर इन्सान अपने कर्म करने के लिए स्वयं है और इसी लिए अपने किये के लिए वह ख़ुद ज़िम्मेदार होगा । अल्लाह किसी को ज़ुल्म करने के लिए नहीं कहता ।

● ख़ुदा इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अपने पैग़म्बर भेजता रहा है और अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अपना आख़िरी पैग़म्बर बनाकर भेजा है । रहती दुनिया तक सारे इन्सानों के लिए ज़रूरी है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का अनुसरण करें ।

● क़ुरआन अल्लाह की भेजी हुई किताब है जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ज़रिये समस्त इन्सानों की रहनुमाई के लिए भेजी गयी । इसमें पूरी ज़िन्दगी के लिए हिदायतें दी गयी हैं ।

● जाति, रंग, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्र, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी के साथ ऊंच-नीच, छुआछूत, भेदभाव और पक्षपात का व्यवहार न करो ।

● ग़लत तरीक़े से दूसरों का माल न खाओ । हलाल (वैध) कमाई करो ।

● मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो ।

ग़ज़ल

आदमी ज़िन्दा रहे किस आस पर
छा रहा हो जब तमस् विश्वास पर

भर न पाये गर्मजोशी से ख़याल
इस क़दर पाला पड़ा एहसास पर

वेदनाएं दस्तकें देने लगें
इतना मत इतराइये उल्लास पर

सत्य का पंछी भरेगा क्या उड़ान
पहरुआ हो झूठ जब विश्वास पर

जो हो ख़ुद फैला रहा घर-घर इसे
पायेगा क़ाबू वो क्या सन्त्रास पर

नासमझ था, देखा सागर की तरफ़
जब न संयम रख सका वो प्यास पर

ये सियासी चालें चलना छोड़ दें
जग हंसेगा आपके इतिहास पर

शिल्पगत हो काव्य भावों से भरा
जाइये मत शाब्दिक विन्यास पर

देखिए, जनतंत्र इसी का नाम है
पतझर आयी, छा गयी मधुमास पर

दुख को भारी पड़ते देखा है कभी
आपने 'दरवेश' हास-उपहास पर ।

● 'दरवेश' भारती

कोलकाता में क़याम के लिए उमदा रिहाइश का मर्कज़

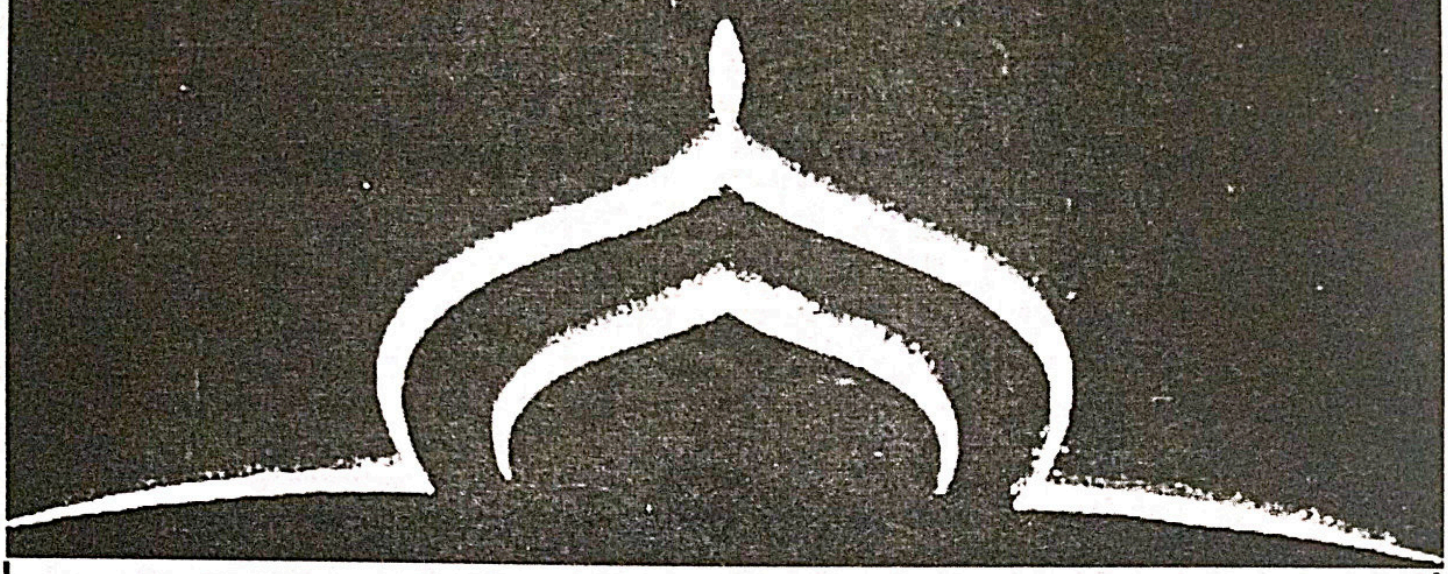

HOTEL AL-FALAH

Ph. : 033-22837901 , Cell : 9836015030
E-mail : hotelal_falah@hotmail.com

A/c Rooms & Non A/c Rooms

With

Attatch Bath Rooms

कोलकाता के शहर के दामन में (पार्क सर्कस) मुनासिब दामों पर रिहाइश का माक़ूल इन्तिज़ाम

एक बार ख़िदमत का मौक़ा ज़रूर दें।

83, Fazlul Haque Sarani, Kolkata - 700 017
WEST BENGAL

सफलता के लिए ज़रूरी है निरंतर प्रयास

● सीताराम गुप्ता

एक गड़रिया था जो रोज़ दूर जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता था । एक मेमने को वह बहुत चाहता था । मेमना था भी बहुत सुन्दर । गड़रिया जब जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता तो अपने प्रिय मेमने को अपने कंधों पर उठा लेता ताकि उसे कोई कष्ट न हो । जैसे-जैसे समय गुज़रता गया मेमना भी बड़ा होता गया । वैसे भी गड़रिया अपने प्रिय मेमने के खान-पान का बड़ा ध्यान रखता था । मेमना काफ़ी बड़ा और भारी हो चला था ।

सच पूछो तो वह मेमना नहीं रह गया था अपितु एक भेड़ बन चुका था लेकिन गड़रिया अब भी उसे अपने कंधों पर उठाये फिरता था । एक बार एक अजनबी ने गड़रिये को उस भेड़ को कंधों पर उठाये देखा तो आश्चर्य से पूछा, "तुम इतनी बड़ी और भारी भेड़ को अपने कंधों पर कैसे उठा लेते हो ?" "यह भारी कहां है ? बिल्कुल भी भारी नहीं है । इसे तो मैं इसके बचपन से ही अपने कंधों पर उठाता रहा हूं", गड़रिये ने जवाब दिया ।

एक बार मैंने एक परिचित के बच्चे को उसकी मां की गोद से अपनी गोद में लिया । मुझे बच्चे को अपनी गोद से फ़ौरन नीचे उतारना पड़ा क्योंकि उस बच्चे का वज़न काफ़ी था जिसे संभालना मेरे लिए मुश्किल था । मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस बच्चे की मां कैसे उस भारी-भरकम बच्चे को आसानी से उठा लेती थी जबकि वो एक कमज़ोर और दुबली-पतली महिला थी । कारण स्पष्ट है ।

मां अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है अत: उसका बच्चा उसके लिए भार नहीं है । दूसरे मां अपने बच्चे को तब से उठा रही थी जब वह बिल्कुल छोटा और हल्का था । वह प्रारंभ से ही बच्चे को उठाती आ रही थी । धीरे-धीरे बच्चे का वज़न बढ़ता रहा लेकिन साथ ही उसकी मां की वज़न उठाने की क्षमता में भी वृद्धि होती रही क्योंकि उसे बच्चे को रोज़ ही उठाना होता था ।

इस प्रसंगों से कई चीज़ें स्पष्ट होती है । जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को हम मन से चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं वह हमें बोझ नहीं लगता । दूसरे जब हम किसी क्रिया को बार-बार करते अथवा दोहराते हैं तो वह क्रिया न केवल हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाती है अपितु हमारी कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होने लगती है । तीसरे यदि किसी कार्य में विशेष दक्षता अथवा प्रवीणता हासिल करनी है तो उसे प्रारंभ से ही सीखना शुरू कर दो ।

किसी नये विषय को सीखने अथवा किसी कार्य विशेष में दक्षता हासिल करने के लिए भी यही पद्धति अपनायी जा सकती है । किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए नियमित अभ्यास ज़रूरी है । अभ्यास के साथ-साथ कार्य में लगने वाली शक्ति में भी वृद्धि होनी चाहिए । साथ ही अभ्यास के समय में भी क्रमश: वृद्धि हो तो और अच्छा होगा । एक किसान ने अपने खेत में कुआं खोदने का निश्चय किया । दस-बारह फुट ज़मीन खोदने पर भी जब पानी नहीं निकला तो वह उदास होकर बैठ गया । फिर उसने नये स्थान पर ख़ोदाई शुरू कर दी लेकिन दस-बारह फुट तो क्या पन्द्रह-बीस फुट खोदाई करने के बाद भी पानी के दर्शन नहीं हुए । उसने एक के बाद एक कई गड्ढे खोद डाले पर पानी नहीं दिखायी दिया ।

किसान ने फिर आसपास के खेतों में बने कुओं के बारे में सोचना प्रारंभ किया तो उसके दिमाग़ में एक बात कौंध उठी कि जब सबके कुओं में भरपूर पानी है, तो मेरे कुएं में क्यों नहीं ? कहीं न कहीं कोई भूल हुई है जो पानी नहीं आ रहा है । उसने अपनी बुद्धि पर ज़ोर डाला तो याद आया कि आसपास के सभी कुएं तो पच्चीस से तीस फुट तक गहरे हैं ।

यह बात ध्यान में आते ही उसके बदन में फुर्ती आ गयी और चेहरे पर उत्साह झलकने लगा । सफलता के लिए केवल परिश्रम ही नहीं अपितु व्यावहारिकता भी ज़रूरी है और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक ही दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना भी अनिवार्य है ।

उर्दू के आधार-स्तंभ

● डॉ॰ मुहम्मद अहमद

'उर्दू' शब्द तुर्की भाषा का है, जिसका अर्थ 'शिविर' अथवा सेना होता है । शाही शिविरों में तुर्की, ईरानी एवं भारतीय साथ-साथ रहते थे, इस कारण उनकी भाषा, जो इन तीनों भाषाओं की सम्मिश्रण थी, 'अहल-ए-उर्दू' (शिविर के लोगों) की भाषा अथवा अधिक सरल रूप में 'ज़ुबान-ए-उर्दू' (शिविर की भाषा) कहलाई । यह ज़ुबान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला अथवा प्रतिष्ठित शिविर की भाषा भी कही जाती थी । शनैःशनैः 'ज़ुबान' शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया और कुछ समय पश्चात भाषा स्वयं 'उर्दू' के नाम से प्रसिद्ध हो गयी ।[1] इस प्रकार शिविर ने विभाषा को इस सीमा तक प्रभावित किया कि इसे अपना नाम ही दे डाला ।[2] किन्तु इस क्षेत्रीय भाषा का व्याकरणिक रूप हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) के ही समान है तथा केवल शब्द भंडार में थोड़ा अंतर है, जिसकी शैली प्रारंभ में बड़ी सरल और व्यवहारोपयोग्य थी । कालांतर में यह भाषा लिखी जाने लगी और केवल 'बोली' ही न रह गयी । चूंकि यह अधिकांशतः मुस्लिम प्रभुत्व सेना द्वारा व्यवहृत की जाती थी, इसका फ़ारसी लिपि में लिखा जाना स्वाभाविक था । इसमें फ़ारसी, अरबी तथा तुर्की जैसी भाषाओं के शब्दों का समावेश भी बहुतायत से होता गया ।[3]

अपने प्रारंभिक चरणों में उर्दू साहित्य का विकास एवं वृद्धि कुछ स्पष्ट नहीं है । अन्य भाषाओं के साहित्यों के समान इस भाषा के साहित्य का विकास भी पद्य से ही प्रारंभ हुआ । अमीर खुसरो (1253-1325) प्रथम लेखक थे, जिन्होंने उर्दू भाषा का प्रयोग साहित्यिक उद्देश्य के लिए किया । परन्तु कई शताब्दियों तक उत्तर भारत में किसी विद्वान ने खुसरो का अनुसरण नहीं किया । 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के कतिपय प्रबुद्ध सुलतानों (जो स्वयं भी कवि थे) के संरक्षण में उर्दू कविता को प्रोत्साहन मिला ।[4] उनके दरबार में कुछ मुसलमान कवियों ने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग किया । उनकी रचनाओं से उत्तर भारत में अधिक रुचि उत्पन्न हुई तथा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हातिम, आबरू, आरज़ू आदि कवियों ने दक्षिण के कवियों का अनुसरण करते हुए, उर्दू भाषा तथा शायरी की उन्नति में योगदान दिया ।[5]

इस प्रकार, उर्दू शायरी का केन्द्र दक्षिण भारत से परिवर्तित होकर, दिल्ली हो गया । 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'सौदा' एवं 'मीर' जैसे प्रख्यात शायरों का समय आया ।[6] इस युग में शायरी अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च स्तर की होने लगी, यह बात इस युग के उत्कृष्ट शायरों और उनकी उत्तम रचनाओं से स्पष्ट होती है । इन कवियों की रचनाएं इतने उच्च स्तर की थी कि उन्होंने भावी शायरों के लिए अनुकरणीय आदर्श एवं प्रतिमान प्रस्तुत किये ।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उर्दू साहित्य उत्तर भारत में फला-फूला । यह कथन उन साहित्यिक मनीषियों के प्रादुर्भाव से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, ज़िन्होंने उर्दू शायरी के क्षेत्र में एक नवीन ज्योति का संचार कर उसे जगमगा दिया । 'ग़ालिब' तथा 'ज़ौक़' के समय में, जो उर्दू साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है, उर्दू साहित्य अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था । इस युग में उर्दू गद्य, नाटक तथा पत्रकारिता की भी उन्नति हुई ।[7] इस समय की साहित्यिक कृतियों में तत्कालीन समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश पड़ता है ।

विभिन्न साहित्यिक मनीषियों की जीवनियां-कृतियां

(1) 'सौदा' (1713-81)



मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी 'सौदा' 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायर माने जाते हैं । वे मिर्ज़ा मुहम्मद शफ़ी के पुत्र थे, जो मूल निवासी तो क़ाबुल के थे, परन्तु दिल्ली में व्यापारी के रूप में बस गये थे । 'सौदा' का

उर्दू साहित्य के मनीषी

जन्म 1713 ई॰ में हुआ था । उनका पोषण एवं शिक्षण दिल्ली में ही हुआ । सिराजुद्दीन अली ख़ान 'आरज़ू' की संगति में उनकी उर्दू शायरी में रुचि जागृत हुई । शीघ्र ही वे श्रेष्ठ और उच्च स्तर की शायरी करने लगे, जिससे वे जनसाधारण के प्रिय शायर हो गये । उनकी प्रसिद्धि से तत्कालीन बादशाह शाह आलम 'आफ़ताब' का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ, जो उनके शिष्य बन गये तथा उनसे अपनी रचनाओं का संशोधन कराने लगे ।

कहते हैं कि एक बार बादशाह ने 'सौदा' को 'मलिकुश्शुअरा' (कवि सम्राट) की उपाधि प्रदान करने की इच्छा की, परन्तु कवि ने यह कहकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनका अपना कलाम ही उनके लिए वह उपाधि अर्जित करेगा ।[8] उनकी कृति 'शहर आशोब' ने, जो स्वयं बादशाह और उनके दरबारियों पर व्यंग्यपूर्ण रचना थी, बादशाह से उनके संबंध पूर्णत: बिगाड़ दिये । बहरहाल, वह अपने भरण-पोषण के लिए दिल्ली के दो रईसों-बसन्त ख़ां तथा मेहरबान ख़ां पर निर्भर रहने लगे । अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने जब सौदा की प्रतिभा के विषय में सुना, तो उन्हें फ़ैज़ाबाद आने का निमंत्रण दिया, परन्तु कवि ने उत्तर में यह रूबाई लिखकर नवाब के पास भिजवा दी–

'सौदा' पए-दुनिया तू बहर-सू कब तक ?
आवारा अज़ीं-कूचा ब-आं-कू कब तक ?
हासिल यही इससे न कि दुनिया होवे
बिल्फ़र्ज़ हुआ यूं भी तो फिर तू कब तक ?[9]

दुर्भाग्य से दिल्ली में उनके लिए सुविधापूर्ण जीवन की परिस्थितियां अधिक समय तक न रह सकीं ।

'सौदा' की गणना उर्दू के महान शायरों में की जाती है, तथा वे उर्दू साहित्य में 'मीर' और 'ग़ालिब' के साथ ही शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं । वे प्रथम कवि हैं जिन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाओं को गंभीर रूप प्रदान किया । उनकी व्यंग्य तथा अन्य रचनाएं तत्कालीन उत्तरी भारत के लोगों के जीवन और दशा की दर्पण हैं ।

सौदा ने निम्नलिखित रचनाएं कीं–(1) फ़ारसी ग़ज़लों का अपूर्ण दीवान, (2) फ़ारसी के कतिपय क़सीदे (3) उर्दू ग़ज़लों का दीवान (4) चौबीस मसनवियां (5) दिल्ली तथा लखनऊ के उच्चश्रेणी के व्यक्तियों की प्रशंसा में क़सीदों का दीवान (6)मीर के पद्यों की व्याख्या (7) सलाम तथा मर्सिये (8)पवित्र धार्मिक मनुष्यों की प्रशंसा में कविताएं (9) 'इबरतुलग़ाफ़िलीन'–गद्य की पुस्तिका (10) 'मीर' कृत मसनवी 'शोला-ए-इश्क़' का गद्य अनुवाद तथा (11) उर्दू कवियों का जीवन-चरित्र, जो अब अप्राप्य है ।

(2) मीर तक़ी 'मीर' (1724-1810)



मीर मुहम्मद तक़ी, जिनका कवि नाम 'मीर' था तथा सामान्यत: मीर तक़ी के नाम से विख्यात थे, अकबराबाद (आगरा) के आभिजात्य मीर अब्दुल्लाह के पुत्र थे । बचपन से ही मीर तक़ी में कवि प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी थी । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने चचा ख़ान आरज़ू (सिराजुद्दीन) के पास दिल्ली चले आये । ख़ान आरज़ू जो फ़ारसी के प्रसिद्ध शायर थे, उनकी देखभाल के साथ उनकी रचनाओं का निरीक्षण भी करते थे । उनकी कविताएं शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयीं ।

लखनऊ में नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, परन्तु कतिपय घटनाओं[10] से दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें दरबार से विदा लेनी पड़ी । इस प्रकार, 'मीर' को अति निर्धनता एवं भुखमरी की हालत में अपना जीवनयापन करना पड़ा । सन 1810 ई॰ में उनकी मृत्यु हो गयी ।

यद्यपि 'आब-ए-हयात' में वर्णित 'मीर' के प्रकृतिविषयक कथनों और चुटकुलों पर अनेक व्यक्तियों ने आपत्ति प्रकट

की है।[1] तथापि इसमें संदेह नहीं कि वे अतिशय गंभीर, आत्म केन्द्रित, गर्वीले तथा संवेदनशील प्रकृति के थे ।[2]

तथापि मीर उर्दू के साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं । ग़ज़ल लेखक के रूप में वे सर्वश्रेष्ठ हैं । यहां तक कि ग़ालिब ने भी उन्हें एक उस्ताद के रूप में स्वीकार किया था–

रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो, 'ग़ालिब'
कहते हैं अगले ज़माने में कोई 'मीर' भी था ।[3]

'मीर' बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे । उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) रेख़्ता ग़ज़लों के छह बड़े दीवान (2) फ़ारसी ग़ज़लों का एक दीवान (3) मसनवियां (4) फ़ारसी में 'फैज़-ए-मीर' नामक पुस्तिका (5) फ़ारसी में ही उर्दू कवियों की स्मृतांजलि 'नुकातुश्शुअरा', (6) फ़ारसी में अपना आत्म-चरित्र 'ज़िक्र-ए-मीर' ।

उनकी अनेक मसनवियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय ये हैं–(1) 'अजगरनामा', जिसमें कवि ने स्वयं को ऐसा अजगर माना है जो छोटे कवि रूपी जीवों को निगल जाता है, (2) 'शोला-ए-इश्क़' अथवा 'प्रेम-ज्वाला', (3) 'जोश-ए-इश्क़' अथवा 'प्रेमावेग', (4) 'दरिया-ए-इश्क़' अथवा 'प्रेमोदधि' (5) 'एजाज़-ए-इश्क़' अथवा 'प्रेम का चमत्कार', (6) 'ख़्वाब व ख़याल' अथवा 'स्वप्न और विचार', (7) 'मामालात-ए-इश्क़' अथवा 'प्रेम संव्यवहार', (8) मसनवी 'तंबीहुलख़्याल', जिसमें काव्यकला की प्रशंसा की गयी है, (9) 'शिकारनामा' जो तीन मसनवियों का संग्रह है और जिसमें नवाब आसिफुद्दौला के शिकार-अभियानों का वर्णन है (10) अनेक लघु मसनवियां ।

(3) मीर 'हसन' (लगभग 1736-86)



मीर गुलाम हसन जो मीर 'हसन' के नाम से अधिक विख्यात हैं, दिल्ली में उत्पन्न हुए थे तथा कवि मीर गुलाम हसन 'ज़हाक' के सुपुत्र थे । उन्होंने बचपन में ही अपने पिता से काव्यकला सीखी थी तथा कालान्तर में अपनी रचनाओं का संशोधन, ख़्वाजा मीर दर्द से कराया । दिल्ली में व्याप्त अशांति के कारण उन्हें 12-13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ना पड़ा । वे अपने पिता के साथ फ़ैज़ाबाद चले गये, जो उस समय अवध की राजधानी थी । उन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के मामा नवाब सालारजंग के यहां नौकरी कर ली । धीरे-धीरे उन्हें फ़ैज़ाबाद से अत्यधिक लगाव हो गया । जब शासन-केन्द्र लखनऊ स्थानांतरित हुआ तो वे भी वहां चले गये तथा वहीं स्थायी रूप से निवास करने लगे । लखनऊ में ही 1786 ई० में उनकी मृत्यु हो गयी ।

मीर हसन को उर्दू साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है, वे अपनी भाषा की मधुरता और सरलता के लिए विख्यात हैं । उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) ग़ज़लों का दीवान (2) ग्यारह मसनवियां, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं–(अ) सहरुल बयान अथवा 'क़िस्सा बेनज़ीर व बद्रे-मुनीर' जो प्रायः 'मसनवी-ए-मीर हसन' भी कहलाती है, यह उर्दू की सर्वाधिक विख्यात और जनप्रिय गाथा है जिसने इसके लेखक को अमर बना दिया है । इसमें स्त्रियों के परिधानों, विवाहोत्सवों एवं अन्य प्रथाओं का बड़ा ही रोचक वर्णन है (ब)'गुलज़ार-ए-इरम' जिसमें लखनऊ पर व्यंग्य और फ़ैज़ाबाद की प्रशंसा की गयी है । इसमें भी मुसलमानों में प्रचलित रीति-रिवाज़ों, स्त्रीय-परिधानों तथा उत्सवों का वर्णन है । (3) क़सीदे, जिनमें से अब केवल सात ही प्राप्त हैं (4) फ़ारसी में उर्दू कवियों का तज़किरा ।

(4) 'मुसहफ़ी' (1750-1824)

शैख़ गुलाम हमदानी 'मुसहफ़ी' अमरोहा के कुलीनवंशीय शैख़ वली मुहम्मद के पुत्र थे । उनका जन्म 1750 ई० में हुआ था । युवा होने पर वे अरबी और फ़ारसी में शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से दिल्ली आये । उन्होंने उर्दू शायरी में गहरी रुचि प्रदर्शित की और शीघ्र ही शायर के रूप में प्रसिद्ध हो गये । वे अपने घर पर मुशायरे आयोजित करते थे, जिनमें दिल्ली के प्रायः सभी उच्चकोटि के शायर सम्मिलित हुआ करते थे ।

जीविका की खोज में मुसहफ़ी को दिल्ली त्यागनी पड़ी तथा वे आंवला, टांडा (रामपुर के पास) एवं लखनऊ जैसे स्थानों पर भ्रमण करते रहे । लखनऊ में एक वर्ष रहने के पश्चात पुनः दिल्ली आ गये जहां एक लंबी अवधि तक

रहे । इस अवधि में उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार भी किया । अन्ततोगत्वा वे लखनऊ चले गये और मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह के यहां नौकरी कर ली तथा स्थायी रूप से वहीं बस गये । अत्यंत ग़रीबी तथा निराशा की स्थिति में सन 1824 ई॰ में मुसहफ़ी की मृत्यु हो गयी ।

मुसहफ़ी का विशेष रूप से उर्दू के आठ दीवान तथा उर्दू कवियों का तज़किरा विख्यात है, जिसमें कम से कम उनके समय तक के लगभग 350 कवियों का वर्णन है ।

(5) 'इन्शा' (लगभग 1756-1817)



सैयद इन्शा अल्लाह ख़ां 'इंशा' दिल्ली के कवि तथा शाही चिकित्सक हकीम माशा अल्लाह ख़ां 'मसदर' के पुत्र थे । मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण माशा अल्लाह कुछ समय के लिए मुर्शिदाबाद के दरबार में चले गये । वहीं पर लगभग 1756 ई॰ में इंशा का जन्म हुआ । प्रारंभिक अवस्था में उनके पिता उनकी शायरी का संशोधन किया करते थे । 1886 में वे दिल्ली आ गये तथा मीर सोज के शागिर्द बन गये । शाहआलम ने, जो स्वयं भी एक शायर और शायरों के संरक्षक थे, इंशा को अपने दरबार में आमंत्रित किया । परन्तु इंशा ने दिल्ली दरबार से असंतुष्ट होकर लखनऊ में निवास करने का निश्चय किया । लखनऊ में नवाब के पुत्र मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया । वे नवाब सआदत अली ख़ां के संपर्क में भी आये, जिनसे वे केवल मित्रता करने में ही सफल नहीं हुए वरन गहरी घनिष्ठता भी स्थापित कर ली । इंशा के प्रमुख संग्रह अथवा ''कुल्लियात'' में निम्नलिखित काव्य रूप हैं–

(1) उर्दू ग़ज़लों का दीवान (2) रेख़ती ग़ज़लें (3) उर्दू और फ़ारसी में क़सीदे (4) फ़ारसी ग़ज़लों का दीवान (5) 'शीर-बिरंज' नामक फ़ारसी मसनवी (6) एक फ़ारसी मसनवी जिसकी रचना बिन्दु रहित अक्षरों से की गयी है । (7) फ़ारसी भाषा में रचित 'शिकारनामा', जिसमें नवाब सआदत अली ख़ां के शिकार का वर्णन है (8) विभिन्न वस्तुओं तथा व्यक्तियों (मुसहफ़ी सहित) के ऊपर व्यंग्यात्मक तथा निन्दात्मक कविताएं (9) 'शिकायत-ए-ज़माना' (10) उर्दू में कतिपय मसनवियां आदि ।

इंशा की उल्लेखनीय रचनाओं में ठेठ हिन्दी में रचित एक गद्य कथा 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी' तथा फ़ारसी में उर्दू व्याकरण एवं छन्द शास्त्र पर रचित एक महत्वपूर्ण कृति 'दरिया-ए-लताफ़त' है जिसे उन्होंने अपने मित्र मिर्ज़ा क़तील के सहयोग से लिखा था ।

(6) 'जुरअत' (मृत्यु–1810)

शैख़ क़लन्द बख़्श 'जुरअत' दिल्ली के हाफ़िज़ अमान के पुत्र थे । उनका जन्म दिल्ली में और लालन-पालन फ़ैज़ाबाद में हुआ था । सर्वप्रथम उन्होंने बरेली के नवाब मुहब्बत ख़ां के यहां नौकरी की । तत्पश्चात 1800 ई॰ में लखनऊ चले गये तथा मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह की संरक्षता प्राप्त कर ली । सन 1810–मृत्यु पर्यन्त वे लखनऊ में ही रहे ।

जुरअत दिल्ली के ज़फ़र अली ख़ां के शागिर्द थे । उनके द्वारा रचित उर्दू में ग़ज़लों का संग्रह तथा दो मसनवियां उपलब्ध हैं । एक मसनवी में बरसात पर व्यंग्य किया गया है तथा द्वितीय मसनवी-'हुस्न व इश्क़' में एक प्रेम-प्रसंग का वर्णन है ।

(7) 'रंगीन' (1755-1835)

सआदत यार ख़ां रंगीन 1755 ई॰ में सरहिन्द में पैदा हुए थे । वे तहमास्प बेग ख़ां तूरानी के पुत्र थे, जो नादिरशाह के साथ भारत आये थे तथा कुछ दिन लाहौर में रहने के पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली में बस गये । वहां उन्हें हफ़्त-हज़ारी की पदवी तथा मुहकिम उद्दौला एतक़ाद-ए-जंगबहादुर की उपाधि प्रदान की गयी ।

रंगीन चौदह-पन्द्रह वर्ष की आयु में ही काव्य रचना करने लग गये थे । वे शाह हातिम के शागिर्द थे परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात मुहम्मद अमन निसार से काव्य संशोधन कराने लगे । वस्तुतः वे मीर के शागिर्द बनना चाहते थे, परन्तु मीर ने उनकी प्रार्थना यह कहकर अस्वीकार कर दी कि तुम्हारे लिए शारीरिक व्यायाम व घुड़सवारी अधिक उपयुक्त हैं ।

रंगीन एक सिद्धहस्त लेखक थे । उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं : (1) नौरत्न-ए-रंगीन जिसमें रेख़्ती के एक दीवान सहित चार दीवान हैं, (2) मजमूआ-ए-रंगीन, (3) मजालिस-ए-रंगीन (फ़ारसी में) (4) इम्तिहान-ए-रंगीन (5) अख़बार-ए-रंगीन, जिसमें उस काल पर प्रकाश डालने वाली 93 कथाएं हैं, (6) ईजाद-ए-रंगीन जिसमें कथाएं एवं चुटकुले हैं, (7) अजायब व ग़रायब-ए-रंगीन, (8) शहर-आशोब, (9) दावत-ए-रंगीन, (10) हिकायत-ए-रंगीन, (11) फ़रस नामा, जिसमें घोड़ों की पहचान तथा उनके रोगों की चिकित्सा आदि का वर्णन है ।

इनके अतिरिक्त भी अन्यान्य रचनाएं हैं ।

(8) 'जान साहब' (1819-1882)

मीर यार अली ख़ां, जिनका कवि नाम जान साहब था, मीर अम्मान के पुत्र थे । उनका जन्म 1819 ई० में फ़र्रूख़ाबाद में हुआ था ।[14] छोटी अवस्था में ही वे लखनऊ चले गये तथा नवाब आशोर अली ख़ां के शागिर्द बन गये । जान साहब की रचनाओं में रेख़्ती कविता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी थी ।

आर्थिक संकट की अवस्था में जान साहब जीविकोपार्जन निमित्त भोपाल और दिल्ली भी गये परन्तु उनकी कोशिश नाकाम हो गयी । उनके जीवन का अंतिम समय रामपुर में व्यतीत हुआ, जहां उनकी मृत्यु 1882 ई० में 63 वर्ष की आयु में हुई । उन्होंने 'दीवान-ए-जान' नामक एक दीवान की रचना की है ।

(9) 'नज़ीर' अकबराबादी (1735-1830)

शैख़ वली मुहम्मद नज़ीर का जन्म 1735 ई० में दिल्ली में हुआ था । वे सैयद मुहम्मद फ़ारूक़ के पुत्र थे, जिनके बारह बच्चों में एकमात्र वही जीवित रहे थे । अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के समय नज़ीर आगरा चले गये तथा ताजमहल के निकट ताजगंज में रहने लगे ।



नज़ीर ने फ़ारसी का गहन अध्ययन किया था, तथा वे अरबी भी जानते थे ।

नज़ीर अकबराबादी बहुमुखी प्रतिभा के सिद्धहस्त लेखक थे । शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो शायरी में उनकी दृष्टि से ओझल रह गया हो । समकालीन कवियों में वे सौदा और मीर से छोटे तथा इंशा, जुरअत और नासिख़ से बड़े थे । कोई भी तत्कालीन कवि विषय-बाहुल्य तथा शब्द-चयन में उनकी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता । सत्य तो यह है कि जो विशेषताएं पृथक-पृथक रूप से विभिन्न कवियों में पायी जाती हैं, वे सभी सम्मिलित रूप से उनमें विद्यमान थीं ।[15] शब्द चयन में उनकी तुलना टेनीसन से की जाती है । उस काल के सभी उर्दू कवियों में केवल वे ही शेक्सपीयर के सर्वाधिक निकट प्रतीत होते हैं । वास्तव में नज़ीर 'बेनज़ीर' (अनुपमेय) हैं, या उनकी तुलना केवल उनसे ही की जा सकती है ।

नज़ीर ने जो कुछ लिखा है, वह सब आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे सुरक्षित रखने की चिंता नहीं की । विश्वास किया जाता है कि उन्होंने दो लाख शेअरों की रचना की थी, परन्तु उनमें से अब केवल छह हज़ार उपलब्ध हैं ?

(10) 'नासिख़' (मृत्यु-1838)

शैख़ इमाम बख़्श नासिख़ लखनऊ के अत्यधिक प्रसिद्ध शायरों में से थे । उनका जन्म फ़ैज़ाबाद में हुआ था । युगानुरूप नासिख़ को शारीरिक व्यायाम में बड़ी रुचि थी तथा उनकी गठन भी अच्छी थी । अपने जीवन काल में नासिख़ को दो बार लखनऊ छोड़ना पड़ा । कहा जाता है कि एक बार नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ने नासिख़ की शायरी की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में उपस्थित होकर क़सीदा सुनाने और मलिकुश्शुअरा (कवि सम्राट) की उपाधि ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की । परन्तु शायर ने नवाब का प्रस्ताव इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि, "एक नवाब मात्र के द्वारा प्रदान की गयी उपाधि, जिसके पास न तो दिल्ली के सम्राट की मान-प्रतिष्ठा है और न ही 'कंपनी बहादुर' की शक्ति है व्यर्थ से भी बदतर है ।" इस प्रकार, वे नवाब के कोप भाजन बन गये तथा उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा ।

नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की मृत्यु के पश्चात वे लखनऊ

आ गये, परन्तु उन्हें पुन: उसे छोड़ना पड़ा । नासिख़ की मृत्यु 1838 ई॰ में हुई ।

नासिख़ की कविताओं के तीन दीवान हैं । प्रथम "दफ़्तर-ए-परेशान" है, जो इलाहाबाद में 1816 में पूर्ण हुआ । द्वितीय और तृतीय क्रमश: 1831 तथा 1838 में पूर्ण हुए । उन्होंने "नज़्म-ए-सिराज" शीर्षक से एक मसनवी तथा एक नअत की भी रचना की थी ।

(11) 'आतिश' (1778-1849)



ख़्वाजा हैदर अली 'आतिश' ख़्वाजा अली बख़्श के पुत्र थे । उनका जन्म 1778 में फ़ैज़ाबाद में हुआ था । आतिश के लड़कपन में ही पिता की मृत्यु के कारण उनकी शिक्षा की उपेक्षा हुई । उन्होंने नवाब मिर्ज़ा मुहम्मद तक़ी ख़ां की नौकरी कर ली । 1805 ई॰ के लगभग, जब नवाब स्थायी रूप से लखनऊ आ गये तो वे अपने साथ, आतिश को भी ले आये । लखनऊ आने पर उन्होंने 'इंशा' और 'मुसहफ़ी' के ज़ोरदार मारके देखे जिनमें उन्हें बड़ा आनन्द आता था । यहीं से उनमें शायरी के प्रति रुचि जागृत हुई और वे शीघ्र ही 'मुसहफ़ी' के शागिर्द बन गये ।

आतिश सभी प्रकार के दरबारी प्रभाव से मुक्त थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी संरक्षण या कृपा की आकांक्षा नहीं की, उन्होंने फ़क़ीरों के समान जीवन व्यतीत करना अधिक पसन्द किया । आतिश की मृत्यु 71 वर्ष की उम्र में 1849 में हुई ।

उर्दू ग़ज़ल लेखकों में मीर तथा ग़ालिब के पश्चात 'आतिश' का ही स्थान आता है । उनकी ग़ज़लों के दो दीवान हैं, जिनमें से प्रथम को तो उन्होंने स्वयं ही तथा द्वितीय को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके प्रिय शागिर्द ख़लील ने संगृहीत किया ।

(12) 'सुरूर' (1787-1867)

मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर', मिर्ज़ा असग़र अली बेग के पुत्र थे, तथा 1787 ई॰ में लखनऊ में पैदा हुए थे । वे एक प्रतिष्ठित परिवार के थे । उनकी शिक्षा-दीक्षा लखनऊ के साहित्यिक वातावरण में हुई थी । उन्होंने फ़ारसी और अरबी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था । वे एक उच्चकोटि के सुलेखक (कातिब) थे । शायरी में वे आग़ा नवाज़िश हुसैन के शागिर्द थे ।

सुरूर का व्यक्तित्व आकर्षक था । वे हंसमुख प्रकृति के एक अच्छे आदमी थे । कहा जाता है कि नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की निर्वासन आज्ञा के फलस्वरूप उन्हें कानपुर आकर रहना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'फ़साना-ए-अजायब' की रचना की । 1846 ई॰ में पचास रुपये मासिक वेतन पर नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी कवि हो गये । इसके अगले वर्ष उन्होंने वाजिद अली के आदेश से 'शमशेर ख़ानी' का अनुवाद 'सुरूर-ए-सुलतानी' के नाम से किया । 'शरर-ए-इश्क़' उन अनेक छोटी कहानियों में से एक है जिनकी रचना उन्होंने 1847 तथा 1851 के मध्य की । 1856 में उन्होंने 'शगूफ़ा-ए-मुहब्बत की रचना की ।

(13) 'ज़ौक़' (1789-1854)

शैख़ इब्राहीम 'ज़ौक़' दिल्ली के एक निर्धन सिपाही शैख़ मुहम्मद रमज़ान के बेटे थे । उनका जन्म 1789 में हुआ था । बचपन में उन्होंने हाफ़िज़ गुलाम रसूल से शिक्षा प्राप्त की थी । 'ज़ौक़' की शीघ्र ही शायरी में रुचि उत्पन्न हो गयी तथा वे अपने शेअर संशोधनार्थ अपने उस्ताद के सामने पेश करने लगे । वे बाद में शाह 'नसीर' से परामर्श लेने लगे । उनके अनेक विख्यात शागिर्द थे जिनमें सर्वाधिक महत्व के एवं उनकी प्रतिष्ठा वृद्धि करने वाले बहादुरशाह 'जफ़र' थे ।



ज़ौक़ के भूतपूर्व उस्ताद 'नसीर' ने दक्षिण से लौटकर जब उन्हें उनके सम्मानित स्थान से अपदस्थ करने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा और विद्वता से सिद्ध कर दिया कि ऐसा करना सरल कार्य नहीं था । ज़ौक़ ने अकबर शाह द्वितीय से 'ख़ाक़ानी-ए-हिन्द' की उपाधि अर्जित की ।[16] उन्होंने बहादुरशाह 'जफ़र' से जागीर तथा अन्य भेंटों के अतिरिक्त 'ख़ान बहादुर' की उपाधि प्राप्त की। ज़ौक़ की मृत्यु 1854 ई॰ में हुई ।

(14) 'ग़ालिब' (1797-1869)



मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग ख़ां (उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा) जो पहले 'असद' और फिर 'ग़ालिब' तख़ल्लुस रखते थे, 1797 में आगरा में पैदा हुए । पालन-पोषण उनकी ननिहाल में आगरा में हुआ । आरंभ में उन्होंने मौलवी मुहम्मद मुअज़्ज़म से शिक्षा प्राप्त की । परन्तु ग़ालिब के फ़ारसी के गंभीर ज्ञान का श्रेय मौलाना अब्दुस्समद हुरमुज़्द को है, जो दो वर्ष तक उनके विशेष शिक्षक थे । ग़ालिब ने उर्दू शायरी की रचना 8 या 9 वर्ष की अवस्था से ही शुरू कर दी थी, फ़ारसी शायरी की रचना के समय वे कठिनता से 10 या 11 वर्ष के रहे होंगे ।

ग़ालिब अपनी प्रारंभिक अवस्था में शतरंज खेलने और पतंग उड़ाने के शौक़ीन थे । ये शौक़ उनकी साहित्यिक गतिविधियों में बाधक नहीं बने । 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित और ख्यातिप्राप्त घराने में हुआ । इस संबंध में उन्हें समाज की उच्च श्रेणी तथा साहित्य क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला ।

ग़ालिब के पत्रों के द्वारा उर्दू गद्य शैली को एक नवीन दिशा-निर्देश मिला है, किन्तु कविरूप में उनकी प्रसिद्धि के कारण यह तथ्य उजागर नहीं हो सका । उर्दू गद्य के विकास में ग़ालिब की देन महान है । इस प्रकार वे एक प्रसिद्ध शायर ही नहीं थे अपितु अग्रगण्य गद्य लेखक भी थे । उनकी रचनाएं हैं–

(1) 'ऊदे हिन्दी', (2) 'उर्दू-ए-मुअल्ला', (3) फ़ारसी पद्य तथा गद्य का कुल्लियात, (4) 'दीवान-ए-उर्दू', (5) 'लतायफ़-ए-ग़ैबी', (6) 'तेग़-ए-तेज़', (7) 'क़ाता बुरहान', (8) 'पंज आहंग', (9) 'नामाए-ग़ालिब', (10) 'मेहर-ए-नीमरोज़', (11) 'दस्तंबो', (12) 'सब्द चीन' ।

(15) 'मोमिन' (1800-1853)

दिल्ली के मोमिन ख़ां 'मोमिन' हकीमों के प्रसिद्ध घरानों से संबंधित थे । वे हकीम गुलाम नबी ख़ां के पुत्र थे । मोमिन के पितामह हकीम नामदार ख़ां, शाह आलम के शाही हकीम थे तथा नारनौल परगने में कुछ जागीर मिली हुई थी । अंग्रेज़ों के सत्ता ग्रहण करने पर उनको पेंशन मिलने लगी, जिसका एक भाग मोमिन ख़ां को भी मिलता था ।

मोमिन ने शाह अब्दुल क़ादिर से अरबी की शिक्षा प्राप्त की । तत्पश्चात अपने पिता व चचाओं से यूनानी चिकित्साशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की तथा उन्हीं के मतब में चिकित्सा कार्य करने लगे । परन्तु यह कार्य केवल उनके मन बहलाव का साधन था । उनकी बुद्धि प्रखर तथा स्मृति तीव्र थी ।

मिर्ज़ा ग़ालिब की भांति मोमिन भी प्राचीन व्यवस्था के अभिजात्य वर्ग से संबंधित थे तथा समय परिवर्तन के साथ संगति बैठाने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफ़ेसर पद का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था । इसी प्रकार महाराजा कपूरथला का 350 रुपये प्रति मास का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि महाराजा के दरबार का एक साधारण गवैया भी यही वेतन प्राप्त कर रहा था ।[17] एक अन्य अवसर पर, टोंक के नवाब वज़ीरुद्दौला ने उनके समक्ष टोंक में निवास करने का प्रस्ताव रखा परन्तु दिल्ली प्रेम के कारण उन्होंने उसे भी अस्वीकार कर दिया ।

अन्य शायरों की भांति मोमिन ने कविता को अपनी जीविका का साधन नहीं बनाया । यह उनका प्रिय व्यसन था जो क्रमिक विकास द्वारा उनके संवेदना में गहरा प्रवेश कर, उनके अस्तित्व का अनिवार्य अंग बन गया ।[18]

मोमिन ने एक दीवान की रचना की जिसको उनके शिष्य शेफ़्ता ने संकलित किया तथा करीमुद्दीन ने 1746 में

प्रकाशित किया । उन्होंने छह मसनवियां, कुछ पहेलियां तथा अन्य रूपों में भी रचना की । सन 1852 में घर की छत से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी ।

(16) 'ज़फ़र' (1675-1862)

मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन मुहम्मद बहादुर शाह, जिनका तख़ल्लुस 'ज़फ़र' था, अंतिम मुग़ल बादशाह थे । उनका जन्म 1775 ई॰ में हुआ था । वे 1837 में सिंहासनासीन हुए । वे एक बादशाह की अपेक्षा शायर अधिक थे तथा इसी रूप में सप्रेम स्मरण किये जाते हैं । पहले वे ज़ौक़ के शागिर्द एवं मित्र थे, तदुपरांत ग़ालिब के हुए ।

ज़फ़र केवल उर्दू के प्रतिभाशाली शायर ही नहीं थे, वरन् फ़ारसी के विद्वान और अद्भुत सुलेखक (कातिब) भी थे ।

सन 1858 में बहादुर शाह ज़फ़र को सिंहासन से उतार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया जहां वे एक दरवेश की भांति रहे तथा 1862 में उनकी मृत्यु हुई ।

एक कवि के रूप में ज़फ़र की प्रसिद्धि 'मुख्यत: उनके ग़ज़लों के दीवान पर आधारित है जो अत्यधिक लोकप्रिय है । कुछ लोग ज़फ़र की अधिकांश ग़ज़लों का श्रेय उनके शायरी के उस्तादों ज़ौक़ तथा ग़ालिब को देते हैं । इस विचार में कुछ सच्चाई हो सकती है, परन्तु तथ्य यह है कि ज़फ़र स्वयं एक अच्छे शायर थे तथा उनकी अधिकांश ग़ज़लें उन्हीं के द्वारा रचित हैं ।

(17) 'अख़्तर' (1827-1887)

लखनऊ के उन समस्त नवाबों में, जो स्वयं कवि थे, वाजिद अली शाह सर्वाधिक प्रबुद्ध थे । वे शायरी के प्रेमी थे तथा 'अख़्तर' नाम से रचनाएं करते थे । उन्होंने 20 वर्ष की आयु में सन 1847 में सिंहासनारूढ़ होकर केवल 1856 तक शासन किया, इस वर्ष अंग्रेज़ों ने उन्हें गद्दी से उतार कर कलकत्ता निर्वासित कर दिया ।

वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह (1842-47), जो कला और साहित्य के संरक्षक थे, के बड़े बेटे थे ।

वाजिद अली शाह एक सिद्धहस्त लेखक थे । उनकी कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) ग़ज़लों के छह दीवान–'शुआ-ए-फ़ैज़', 'क़मर-ए-मज़मून', 'सुख़न-ए-अशरफ़', 'गुलदस्ता-ए-आशिक़ां', 'अख़्तर-ए-मुल्क' तथा 'नज़्म-ए-नामवर' शीर्षकों से संग्रहीत है । (2) अनेक मसनवियां जिनमें, 'हुज़्न-ए-अख़्तर', 'ख़िताबात-ए-महल्लात', 'बानी', 'नाज़ा', 'दुल्हन', 'दरफ़न-ए-मौसीक़ी', 'दरिया-ए-तअश्शुक़' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं (3) मरसियों के तीन संग्रह (4) 'क़सायदुल-मुबारक' जिसमें उर्दू तथा फ़ारसी में क़सीदे हैं (5) 'मुबाहिसा बैनुल नफ़्सुलअक़्ल' (6) 'सहीफ़ा-ए-सुल्तानी' (7) 'नसाहए अख़्तरी' (8) 'इश्क़नामा' (9) 'रिसाला-ए-ईमान' (10) 'दफ़्तर-ए-परीशां (11) 'मक़्तले-मोतबर' (12) 'दस्तूर-ए-वाजिदी' (13) 'सौतुल-मुबारक' (14) 'हैबत-ए-हैदरी' (16) 'जौहर-ए-उरूज़' (16) 'इरशाद-ए-खाक़ानी' आदि ।

सन्दर्भ

1. भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द के प्रयोग का सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरण मुसहफ़ी (1750-1824) की कविताओं में पाया जाता है ।
2. रामबाबू सक्सेना, 'ए हिस्ट्री ऑफ़ उर्दू लिट्रेचर' (इलाहाबाद, 1940) पृ॰ 1 ।
3. वही पृष्ठ-2 ।
4. वही पृष्ठ-12 ।
5. वही पृष्ठ-13 ।
6. टी॰ ग्राह्म बेली, 'ए हिस्ट्री ऑव उर्दू लिट्रेचर' (लंदन, 1932), पृ॰-41 ।
7. सक्सेना, पृ॰-22, 346, 363
8. मुहम्मद हुसैन आज़ाद, 'आब-ए-हयात' (लाहौर, 1917), पृ॰ 15-16 ।
9. वही, पृ॰ 150 ।
10. 'आब-ए-हयात', पृ॰ 204 ।
11. सक्सेना, पृ॰ 71 ।
12. 'आब-ए-हयात', पृ॰ 206-207 ।
13. 'दीवान-ए-ग़ालिब', संपादक मालिक राम (दिल्ली, 1957), प॰ 72 ।
14. तमकीन काज़मी, "तज़किरा रेख़्ती" (हैदराबाद, 1930), पृ॰ 24
15. नियाज़ फ़तेहपुरी, "नज़ीर मेरी नज़र में", 'निगार' जनवरी, 1940 (नज़ीर नम्बर), पृ॰ 4 ।
16. "दीवान-ए-ज़ौक़", संपादक मुहम्मद हुसैन आज़ाद (लाहौर, 1922), प्रस्तावना, पृ॰ 15 ।
17. 'आब-ए-हयात', पृ॰ 425 ।
18. 'दीवान-ए-मोमिन', संपादक ज़िया अहमद ज़िया (इलाहाबाद, 1934), पृ॰ 26 ।

हमारी नई पुस्तकें

सर्वधर्म समभाव और इस्लाम धर्म	शोबा-ए-दावत	30.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की बेटियाँ	तालिब हाशिमी	22.00
झाड़-फूँक इस्लाम की रौशनी में	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम कैसे फैला?	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	36.00
कुव्वत का असल राज़	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
तलख़ीस तफ़हीमुल कुरआन (सूरा यासीन)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	100.00
इस्लामी पारिभाषिक शब्द	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
सूफी बुज़ुर्गों की अनमोल बातें	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
अध्यात्म का महत्व और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
आत्मा और परमात्मा	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
सफलता और मुक्ति का एक ही रास्ता	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
नफ़्स का तज़किया और हम	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
मुक्ति की धारणा और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	26.00
कुरआन पर अमल	सुमय्या रमज़ान	75.00
विशुद्ध एकेश्वरवाद	मुहम्मद यूसुफ इस्लाही	24.00
हक़ की दावत और ग़ैर मुस्लिम	मतीन तारिक बाग़पती	16.00
रहमत ही रहमत	अश-शैख़ अताउल्लाह कुरेजा	66.00
ब्याज का हराम होना	डॉ० मुहम्मद उमर छापरा	32.00
मीरास का बँटवारा और उसके हक़दार	मिर्ज़ा सुबहान बेग	26.00
इस्लामः दयालुतापूर्ण ईश्वरीय धर्म	डॉ० फ़रहत हुसैन	28.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26981652, 26984347, Fax: 26987858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

ब्याज-मुक्त अर्थव्यवस्था का विरोध क्यों ?

● के॰ सी॰ त्यागी
(सांसद, राज्यसभा)

20 मई, 2015 अर्थात केन्द्र सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश के नागरिकों को संबोधित एक खुले पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार ग़रीबों, हाशिये पर पहुंच गये व पिछड़ गये लोगों के प्रति समर्पित है । भाजपा के चुनाव अभियानों में ख़ूब इस्तेमाल किये गये नारे ''सबका साथ सबका विकास'' ने भी इसी विचार को लोगों तक पहुंचाया था । ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना' का भी उद्देश्य समाज के सबसे वंचित लोगों को वित्तीय रूप से शामिल करना है । ''स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शरीया-कम्पलाएंट (शरीया के अनुरूप) म्युचुअल फंड', जिसे सभी एजेंसियों द्वारा एक दिसम्बर, 2014 को शुरू किये जाने के लिए हरी झंडी दे दी गयी थी, का 30 नवम्बर 2014 को शुभारंभ किये जाने के निर्धारित समय के कुछ घंटों पहले एकाएक स्थगित कर दिया गया । इस फ़ैसले का स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।

ऐसे हालात में स्पष्टत: एक ही कारण समझ में आता है, और वह है शब्द ''शरीया'' से सरकार का बैर । सरकार का यह क़दम समावेश के लिए किये गये उसके ख़ुद के वादे और नागरिक भाईचारे के ख़िलाफ़ है । मुसलमानों का एक अच्छा-ख़ासा तबक़ा ब्याज से संबंधित निधियों में पैसा लगाने से कतराता है, क्योंकि उन्हें यह अनैतिक और शोषण करने वाला दिखायी देता है । ऐसे लोगों के लिए ब्याज मुक्त व्यवस्था एक बड़ा आकर्षण है ।

यह साफ़ हो गया है कि म्युचुअल फंड से हरेक को फ़ायदा पहुंचने वाला है । एन॰आर॰आई॰ सहित मज़हबी मुसलमान, ख़ासतौर पर जो खाड़ी क्षेत्र में हैं, मुख्यत: ब्याज के प्रति अपनी अनिच्छा के कारण वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन से दूर रहते हैं । इस तरह की सुविधा से देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग को एन॰आर॰आई॰ के बचे हुए धन से फ़ायदा होगा और यह अधिक समावेशी हो जाएगा । आर॰बी॰आई॰ के वर्तमान गवर्नर, रघुराम राजन की अध्यक्षता

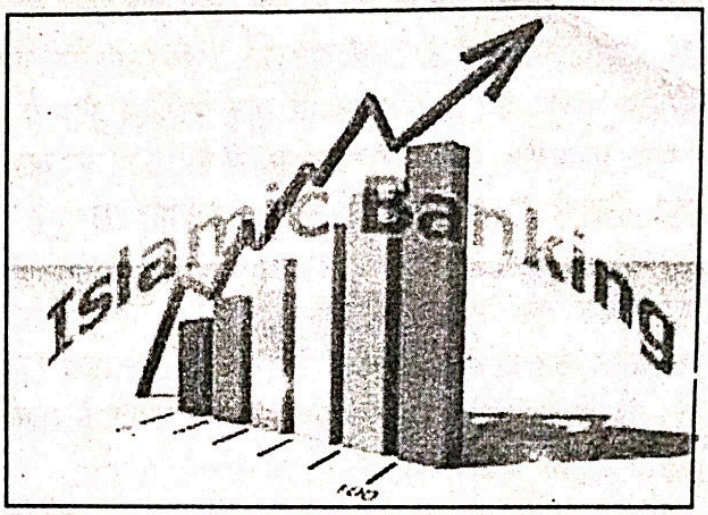

में वित्तीय क्षेत्र सुधार पर गठित कमेटी ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में यह कहते हुए ब्याज मुक्त बैंकिंग की सिफ़ारिश की थी कि यह ''नवीनता · माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले समावेशी उद्देश्यों और विकास के अनुरूप है ।'

दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, जिसने इस विषय पर कई अध्ययन कराये हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता की परिचर्चाएं व गोष्ठियां आयोजित की हैं, ने सरकार व बैंक अधिकारियों को समझाया है कि वे ''शरीया'' शब्द पर ज़ोर न दें और ''ऐथिकल इनवेस्टमेंट'' (नैतिक निवेश), ''पार्टीसिपेटरी बैंकिंग'' (सहभागी बैंकिंग), ''अल्टरनेटिव बैंकिंग'' (वैकल्पिक बैंकिंग) जैसे नामों का स्वागत करें । वास्तव में, ब्याजमुक्त बैंकिंग यू॰के॰, फ्रांस, सिंगापुर, ब्राजील व मध्य-पूर्व में काम कर रही है । ऐसे कायरे के लिए दुनिया के कुछ बड़े बैंकों के प्रमुख पश्चिमी देशों में ख़ास काउंटर हैं । यहां तक कि चीन भी इसे प्रोत्साहित कर रहा है । तमाम मामलों में प्रचलन का शब्द ''शरीया'' नहीं, बल्कि ''ब्याज-मुक्त'' है । दुनिया भर में लगभग 75 देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया है । ब्याज-मुक्त बैंकिंग, ब्याज-मुक्त बैंकिंग है और इसके प्रस्तावक किसी ख़ास नाम पर ज़ोर नहीं देते । एस॰बी॰आई॰ ने उसकी व्यावहारिकता, उसके क़ानूनी-तकनीकी और नियामक पक्षों पर पूरी मेहनत करने के बाद ही योजना की घोषणा की थी । यही कारण है कि फ़ैसले का एकाएक स्थगित किया

जाना पहेली बना हुआ । मज़े की बात यह है कि ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने वाले लोगों की ख़ासी तादाद ग़ैर-मुस्लिमों की है ।

इस तरह की निधियों का मुख्य आकर्षण यह होता है कि उनके समर्थक पूंजी की क़ीमत के बारे में सट्टेबाज़ी और उत्पाद की क़ीमत के बारे में लंबे-चौड़े वादे किये जाने को हतोत्साहित करते हैं । इसीलिए यह रिवायती निधियों की अपेक्षा बाज़ार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होता है । ब्याज-मुक्त लेन-देन की संभावनाओं से निवेशकों का ख़ास वर्ग, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, आकर्षित होता है । मुसलमानों में यू॰टी॰आई॰ यूनिट-64 व अन्य उत्पादों की लोकप्रियता के पीछे यही कहानी है । लेकिन जैसा कि टाटा एथिकल फंड व टॉरस एक्विटी फंड प्रोत्साहन से सिद्ध होता है, यह ग़ैर-मुस्लिमों को सहभागिता से नहीं रोकता है । बाद वालों में 40 प्रतिशत जैन हैं ।

यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के घिनौने कृत्य के पीछे क़र्ज़ अदा कर पाने में उनकी असमर्थता है । चूंकि फ़सल बर्बाद हो जाती है और कृषि निवेशों के लिए लिया गया क़र्ज़ बढ़ता जाता है, इनसे घिरे हुए किसानों के पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता । वे अपने पीछे निराश्रित विधवा और यतीम बच्चों के लिए विरासत में ऐसे क़र्ज़ छोड़ जाते हैं ।

वैज्ञानिक एम॰एस॰ स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में "हरित क्रांति" लाने में अहम भूमिका निभायी थी, ने देश में बढ़ती किसानों आत्महत्याओं के हल के लिए इस परिकल्पना का समर्थन किया है । आख़िरी क्षण में एस॰बी॰आई॰ म्युचुअल फंड स्थगित किये जाने के फ़ैसले को पहेली मानकर फ़ैसले का कारण जानने के लिए 12 मार्च को केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया । केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, जयंत सिन्हा ने 19 मई को अपने जवाबी पत्र में लिखा कि "शुभारंभ से पहले हुई बैठक के अनेक सहभागियों से प्राप्त सूचना से उपजी व्यावहारिक कठिनाइयों से इसे स्थगित किया गया ।" अगर वित्त मंत्रालय यह जानकारी दे दे कि आख़िर "सहभागी" कौन थे और उन्होंने क्या "सूचनाएं" दी थीं, तो इससे कुछ मदद मिल सकती है । इन सूचनाओं से किस तरह की कठिनाइयां उभर कर आयीं और एस॰बी॰आई॰ एफ॰एम॰पी॰एल॰ ने उन कठिनाइयों को दूर क्यों नहीं किया तथा निर्धारित समय (25 जनवरी, 2015) के भीतर योजना को दोबारा शुरू क्यों नहीं किया । इस बीच दुनिया भर में वाणिज्यिक बैंकों के पास इस्लामी बैंकिंग की अनुमानित पूंजी लगभग 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह कतर, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया व टर्की की रिवायती बैंकिंग से ज़्यादा रफ़्तार से बढ़ रही है । इस गिनती में ईरान शामिल नहीं है । इन तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस व्यवस्था को इजाज़त देना हितकर होगा, क्योंकि कुल मिलाकर यह निवेशकों और अर्थव्यवस्था, दोनों की मदद करेगी । इसको लगातार स्थगित रखना मनमानापन और अनुचित है ।

डॉ॰ स्वामीनाथन के कथन को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए यह बात सही लगती है । ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ पत्रकार, पी॰ साईनाथ के अनुसार भारत में 1995 से लगभग तीन लाख किसान ख़ुदकुशी कर चुके हैं । साईनाथ का कहना है कि किसानों द्वारा की जा रही अधिकांश आत्महत्याएं क़र्ज़, कृषि निवेशों की क़ीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि, पानी की समस्या, अस्थिर क़ीमत और फ़सलों को नुक़सान पहुंचाने वाले कीटों के हमलों व बीमारियों से जुड़ी हैं । फ़सल की बर्बादी के पीछे कारण जो हों, पर ब्याज बढ़ता जाता है, जो निराशा और आत्महत्या की तरफ़ ले जाता है । ऐसे में ब्याज-मुक्त व्यवस्था की शुरुआत काफ़ी मददगार साबित होगी ।

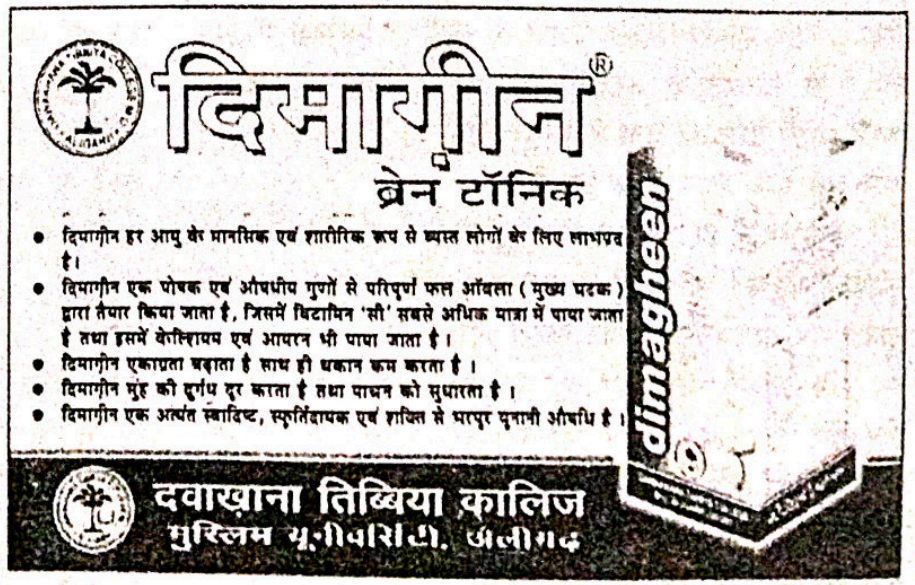

ढिंढोरा धर्मनिरपेक्षता का

■ डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

जब कोई शासक (राजा/राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री या मंत्री आदि) किसी धर्म विशेष के प्रचार या महत्व को बढ़ाने के लिए कोई क़दम उठाता है या सार्वजनिक तौर पर धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होता है, तब अन्य धर्म के अनुयायियों का संशक्ति व आतंकित हो जाना स्वाभाविक ही है, भले ही वह धर्म कितना ही महान क्यों न बताया जा रहा हो । इसीलिए आज सभ्य जगत में धर्मनिरपेक्षता पर ज़ोर दिया जाता है ।

भारत में धर्मनिरपेक्षता सदा निर्बल ही रही है और बहुत थोड़े से लोग ही इसके समर्थक रहे हैं । इस कटु तथ्य को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की एक घटना और जवाहर लाल नेहरू के शब्दों ने प्रमाणित कर दिया था ।

घटना 1951 की है, जब गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर के पुन:निर्माण का प्रश्न उठा था । के॰एम॰ मुंशी ने एक बयान दिया कि भारत सरकार ने इस मंदिर का नवनिर्माण करवाया है । इसका प्रधानमंत्री नेहरू ने कड़ा विरोध करते हुए बयान दिया कि यह सरकारी गतिविधि नहीं है और न ही यह सरकार की धर्मनिरपेक्षता की नीति के अनुकूल है ।

परन्तु गृहमंत्री पटेल, जो गुजरात का ही एक कांग्रेसी था, का मत नेहरू के एकदम विपरीत था । यद्यपि वह शुरू से ही मंदिर के पुन:निर्माण का पक्षधर था, परंतु वह सरकार को इस मामले में संलिप्त करने का समर्थक नहीं था । लेकिन जब सरकारी पैसा मंदिर के बनाने में व्यय होगा और मंत्री सीधे इस कार्य से जुड़ेंगे तो वह काम सरकारी ही बन जाएगा, धर्मनिरपेक्षता कहीं पीछे छूट जाएगी ।

प्रधानमंत्री नेहरू का कहना था कि सरकार को इस परियोजना में संलिप्त नहीं होना चाहिए और मंदिर के निर्माण के लिए धन लोगों को खुद लोगों से इकट्ठा करना चाहिए । इसी उद्देश्य के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया था ।

नेहरू ने 2 मई, 1951 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा था : आप ने सोमनाथ मंदिर में होने जा रहे अनुष्ठानों व जश्नों के बारे में पढ़ा होगा । इनके प्रति बहुत से लोग आकर्षित हो गये हैं और मेरे कुछ सहकर्मी भी व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं, परन्तु यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि यह कार्यक्रम सरकारी नहीं है और भारत सरकार का सरकार के तौर पर इससे कुछ लेना-देना नहीं है ।

इस परियोजना के लिए जनता का कुछ हद तक समर्थन स्वाभाविक है, परन्तु हमें यह याद रखना होगा कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे सरकार की धर्मनिरपेक्षता की नीति को हानि पहुंचे । क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल आधार है, अत: राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के साथ उस तरह जुड़ने से परहेज करना चाहिए, जिस तरह जुड़ने से सरकार का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बाधित हो । खेद है कि इस समय भारत में बहुत-सी साम्प्रदायिक शक्तियां व प्रवृत्तियां कार्यरत हैं । हमें इनसे बचना चाहिए । यह नितांत ज़रूरी है कि सरकारें सदा धर्मनिरपेक्ष और ग़ैर-साम्प्रदायिक आदर्श को अपने सामने रखें ।

(Sarvepalli Gopal, Selected Works of Jawahar Lal Nehru, XVI, I, page-559)

परन्तु नेहरू की इस धर्मनिरपेक्षता के मामले में कोई नहीं सुनता था । राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया तो उसने प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा कि मैं वहां जाना चाहता हूं । इस पर नेहरू ने लिखा : मैं यह बात नि:संकोच होकर कहता हूं कि मुझे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह से आपका जुड़ना क़तई पसन्द नहीं है । यह केवल मंदिर में जाना नहीं है । मंदिर में तो तुम भी जा सकते हो और दूसरा भी कोई जा सकता है, परन्तु आपका इस तरह के विशेष समारोह में भाग लेना उचित नहीं, क्योंकि इससे कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं । व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना

है कि इस समय सोमनाथ की भव्य इमारत बनाने से बचना चाहिए था । यह काम धीरे-धीरे होता रहता और बाद में बढ़िया ढंग से हो जाता पर अब तो इमारत बन चुकी है । अब तो मैं यही करना चाहता हूं कि यदि आप अध्यक्षता करने न जाएं तो यह बेहतर रहेगा ।

(पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ-270)

लेकिन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरू के इस परामर्श और गुजराती प्रेम में हो रही अपनी आलोचना की उपेक्षा की और मंदिर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता के लिए पहुंच गये ।

नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है कि कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट तौर पर मानने वाला एक बहुत छोटा-सा दल था, शेष लोग धर्मनिरपेक्षता के प्रेमी नहीं थे ।

नेहरू ने सोमनाथ ट्रस्ट के दो अन्य क़दमों पर भी आपत्ति की थी और उनका उल्लेख राजेन्द्र प्रसाद को लिखे एक पत्र में भी किया है ।

पहला क़दम था, विदेशों में स्थित राजदूतों को पत्र लिखकर यह कहना कि वे अपने-अपने देश की प्रसिद्ध नदियों से पानी और वहां के पहाड़ों से मिट्टी एवं वृक्षों की टहनियां मंदिर ट्रस्ट को भेजें, क्योंकि ये वस्तुएं मंदिर के अभिषेक के लिए ज़रूरी हैं ।

चीन में स्थित हमारे राजदूत के०एम० पनिक्कर ने इस बात की आलोचना की । नेहरू ने उसका समर्थन किया और विदेश मंत्रालय को हिदायत जारी की कि ट्रस्ट के पत्र की उपेक्षा की जाएं और कोई राजदूत कुछ भी वहां न भेजे ।

नेहरू को इस बात से भी नाराज़गी थी कि सौराष्ट्र (गुजरात) की सरकार ने मंदिर की मूर्ति के अभिषेक के लिए पांच लाख (यह रक़म 1951 में बहुत बड़ी थी । इसे आज के पांच लाख न समझा जाए) रुपये दिये हैं ।

राजेन्द्र प्रसाद को लिखे पूर्वोक्त पत्र में नेहरू ने लिखा है : "अख़बारों में छपा है कि सौराष्ट्र की सरकार ने 5 लाख रुपये सोमनाथ के अभिषेक के लिए दिये हैं । मुझे लगता है कि सरकार का यह क़दम एकदम अनुचित है । ऐसे समय में जबकि लोग भूख से मर रहे हैं और हम ज़रा-ज़रा सी चीज़ को बचाने का प्रचार कर रहे हैं, कमख़र्ची पर बल दे रहे हैं और हर तरह की फ़िज़ूलख़र्ची के विरुद्ध हैं, सौराष्ट्र सरकार का 5 लाख का अपव्यय सदमा पहुंचाता है ।

"हमने शिक्षा पर ख़र्चना बंद कर दिया है, हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च रोक दिया है और भी कई लाभकारी सेवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि हमारे पास इन कामों के लिए धन नहीं है, फिर भी देखो यह राज्य सरकार मूर्ति स्थापना पर इतनी बड़ी धनराशि ख़र्च करने पर तुली हुई है ।

"मुझे समझ नहीं आता कि इस राज्य सरकार का क्या करूं, परन्तु मैं कम से कम, भारत सरकार को इस धब्बे से मुक्त रखूंगा । संसद में प्रश्नों के उत्तरों के दौरान मैं अपना पक्ष स्पष्ट कर दूंगा ।"

यह बहस कई मुद्दों को स्पष्ट करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू की चिंता सोमनाथ मंदिर और उसके पुनः निर्माण तक सीमित नहीं थी, प्रधानमंत्री स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शासन और समाज के स्वभाव के विशाल परिदृश्य को रेखांकित कर रहे थे तथा वह लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता की मांग कर रहे थे ।

खेद है, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता समय के बीतने के साथ उत्तरोत्तर झीनी पड़ती गयी और आज हम उस हालत में पहुंच गये हैं कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमने धर्मनिरपेक्षता का झीना वस्त्र पहन भी रखा है या नितांत दिगम्बर हैं । इसी लिए 16 नवम्बर 2014 को जब राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मथुरा में बनने वाले विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का शिलान्यास किया तो किसी भी शिविर से इस पर आपत्ति नहीं की गयी । नेहरू सा प्रधानमंत्री तो आज है नहीं जो आवाज़ उठाता । कांग्रेस में या लेफ्ट पार्टियों में अन्य धर्मनिरपेक्षतावादी दलों में, इस मामले में चुप्पी है, क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता तभी जागती है जब मुसलमानों की वोटों को सामूहिक तौर पर हथियाने का मौक़ा प्रतीत होता है, शेष समय धर्मनिरपेक्षता के सौदागर चुप ही रहते हैं । इसी लिए भाजपा वाले इन्हें छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी और खुद को अस्ली धर्मनिरपेक्षतावादी कहते हैं । परन्तु मंदिर के प्रस्तुत मामले में भाजपा का दामन भी साफ़ नहीं क्योंकि वह भी कांग्रेस, वामदलों, समाजवादियों जैसे धर्मनिरपेक्षतावाद को सौदागरों के समान मूकदर्शक ही बनी हुई है । कबीर जी के शब्दों में हम तो यही कह सकते हैं :

हम को साजन मिले, हम से भी समरथ,
हमरे तेड़ लंगोटियां, उनके आगे पीछे हथ ।

हाशिमपुरा के बहाने

■ जीतेन्द्र गुप्ता

सत्रहवीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए लेविथान में राज्य स्थापना से पूर्व की स्थिति को 'बेलेम ओमनियम कांट्रा ओमेंस' कहा था। लैटिन की इस सूक्ति का अर्थ है, 'सभी के ख़िलाफ़ सभी का युद्ध।' हॉब्स के अनुसार इस स्थिति के कारण सभी मनुष्यों ने अपनी सार्वभौमिकता राज्य नामक संस्था को समर्पित की और इस सामाजिक समझौते में मनुष्यों को राज्य की ओर से सुरक्षा की प्रतिश्रुति प्राप्त हुई। अपनी समग्रता में यह सिद्धांत मनुष्यों की सर्वोच्च स्वतंत्रता के बारे में बताता है, तो दूसरी ओर, वैयक्तिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के बरक्स सुरक्षा और सामुदायिकता के प्रति मनुष्य की आदिम जिजीविषा को भी इंगित करता है। हॉब्स, रूसों, लॉक और यहां तक कि मांटेस्क्यू भी मनुष्य की इस प्रतिबद्धता को अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में स्वीकार करते हैं।



आज पलट कर इन सिद्धांतों की ओर देखें, तो प्रतीत होता है कि जैसे राज्य के निर्माण के समय मनुष्य जाति के साथ जो प्रतिश्रुति की गयी थी, उसे भंग कर दिया गया है। राज्य के इतिहास का तात्पर्य लगातार जनसंहार के इतिहास में सीमित होता जा रहा है। स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक इसी स्थिति को हर कहीं मौजूद पाएंगे। इराक़ के ख़िलाफ़ 2003 में शुरू किया गया युद्ध केवल इस एक आधार पर हुआ था कि इराक़ के पास 'व्यापक विनाश के हथियार' हैं और जिनका प्रयोग मनुष्यता को ख़तरे में डाल सकता है। लेकिन विडंबना देखिये कि 2011 में आधिकारिक रूप से समाप्त हुए इस युद्ध के अंत पर भी 'व्यापक विनाश' का एक भी हथियार इराक़ में नहीं पाया गया।

अमेरिकी कांग्रेस की एक जांच-रिपोर्ट में 'व्यापक विनाश के हथियार' होने की बात को मानवीय भूल क़रार दिया गया था। ज़ाहिर-सी बात है कि यह एक राज्य की अपनी स्वयं की जनता के साथ की गयी प्रतिश्रुति के साथ विश्वासघात था। इसके बाद विश्वासघात की एक पूरी शृंखला मौजूद है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से लेकर न्यूरेमबर्ग की संधि तक के किसी भी आयाम या वादे को शामिल किया जा सकता है।

बिल्कुल इसी तरह की स्थिति स्थानीय स्तर पर भी है। हाशिमपुरा इस समय एक प्रतीक के तौर पर सामने है। भारत विभाजन से लेकर सिंगूर-नंदीग्राम तक हर जगह इसी स्थिति के प्रमाण मौजूद हैं, जहां राज्य ने अपने नागरिकों के साथ की गयी अपनी प्राथमिक प्रतिज्ञा यानी हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है। इस समय हाशिमपुरा को राज्य की न्यायप्रणाली में दोष या उसके पुख़्ता न होने के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन यह सही तरीक़ा नहीं है, न ही यह हाशिमपुरा से उपजे सवालों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ज़रूरी आधार के निर्माण का उद्यम है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हाशिमपुरा को न्याय-व्यवस्था में दोष के रूप में सामने रखने पर 'न्याय व्यवस्था' को राज्य से स्वायत्त मान लिया जाता है और अपनी सर्वोच्च परिणति में हाशिमपुरा राज्य की विफलता का नहीं, बल्कि न्याय की

विफलता का प्रतीक भर बन जाता है !

हाशिमपुरा क्या न्याय व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है ? क़तई नहीं । अस्ल में यह राज्य की विफलता का प्रतीक है । यह एक ऐसे राज्य की विफलता का प्रतीक है जिसका आधुनिक इतिहास शोषण का रहा है ! अगर स्मरण कर पाएं तो याद कीजिए ब्रितानियों ने भारतीय समाज की क्रूरता के सबसे निकृष्ट उदाहरण के तौर पर 'ब्लैक होल' की घटना को प्रस्तुत किया गया था ।

भारत जैसे राज्य (उपनिवेश) की क्रूरता को प्रमाणित करने के लिए 'ब्लैक होल' जैसी घटना को ब्रितानी साम्राज्यवाद ने 'सृजित' किया था । बाद में वही राज्य स्वतंत्र होकर इस स्थिति में पहुंच गया है कि 'आज़ादी के बाद के सबसे बड़े हिरासती हत्याकांड में भी राज्य उन हत्यारों को दंडित नहीं करा पाया जिन्होंने अपनी हिरासत में लेकर कई दर्जन मुसलमानों को दो नहरों के किनारे निर्ममतापूर्वक मार डाला था ।' लेकिन हम शर्मिंदा कहीं से नहीं हैं ।

आज हम जिस दौर में हैं वहां पूरी दुनिया के राज्य (कुछेक अपवादों को छोड़कर) 'आतंकवाद के ख़िलाफ़' युद्ध लड़ने में मशग़ूल हैं । क्या हमने कभी इस प्रश्न को समझने की कोशिश की है ? आतंकवाद के क्या मायने हैं ? आतंकवादी किसके ख़िलाफ़ अपना युद्ध छेड़े हुए हैं ? और अंत में, आतंकवाद से क्या तात्पर्य है ?

एक भिन्न आयाम पर ग़ौर करें । हाशिमपुरा हत्याकांड में जो कुछ हुआ, वह कोई साधारण बात नहीं है । राज्य पुलिस और सेना के माध्यम से अपने नागरिकों से की गयी सुरक्षा की प्रतिश्रुति को पूरा करता है । यहां जो किया गया, वह यह कि 'मेरठ से इन नवजवानों को पी॰ए॰सी॰ ने अपने ट्रक में भरा और ग़ाज़ियाबाद ज़िले की सीमा पर लाकर मार दिया ।' यानी राज्य के जिन उपागमों को राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'निरोधक' सिद्धांत के आधार पर 'हिंसा' करने का अधिकार दिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया ।

यही काम आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भी किया है । तात्पर्य यह कि राज्य को 'हिंसा' करने का जो एकाधिकार प्राप्त है, अगर उस अधिकार के पीछे के आदि सिद्धांत/प्रतिज्ञा का उल्लंघन होता है तो जो भी आदि-समझौता (मनुष्य और राज्य के बीच) है, उसे समाप्त करने का अधिकार 'नागरिकों' को अपने-आप मिल जाता है ।



अरुंधति राय ने इसी आधार पर कहा है, 'आप कह सकते हैं कि आतंकवाद युद्ध का निजीकृत बाज़ार है । ये वे लोग हैं, जो इस बात पर यक़ीन नहीं करते हैं कि राज्य को हिंसा करने का एकाधिकार वैध है ।' सामुदायिक पहचान या अस्मिता इस मामले में एक प्रमुख और प्रभुत्वकारी आयाम है । जहां आतंकवाद को एक समुदाय विशेष से संबद्ध करके देखा जाता है । और यह स्थिति वैश्विक स्तर पर विद्यमान है ।

यह राज्यकृत हिंसा का सांप्रदायिक चरित्र है । संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्य में भी मुसलमान होना (अब तो मात्र एशियाई होना) या अश्वेत होना इस तरह की राज्यकृत हिंसा का शिकार होने के लिए पर्याप्त कारण है । लेकिन हमारे समाज में विपरीत छवियों का ही निर्माण किया गया है । आतंकवाद के साथ एक ख़ास धर्म की संबद्धता इस तरह से आरोपित कर दी गयी है कि उससे परे कोई छवि तक नहीं दिखायी देती है, न ही इस बारे में प्रश्न किया जाता है । यहां लेखक की प्रस्तावना यह नहीं है कि आतंकवादियों की घोषित 'धार्मिक प्रतिबद्धताओं' को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, आख़िर तालिबानियों के कट्टरपंथी चरित्र से हम परिचित हैं । पर यह प्रस्तावना ज़रूर है कि 'धार्मिक भावनाओं/अभिव्यक्तियों' को संघर्ष का मूल चरित्र मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए । कम से कम हिन्दुस्तान के लिए यह तर्क कोई मानी नहीं रखता है । ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध बाबा रामचंद्र के या स्वामी सहजानंद के संघर्ष को 'धार्मिक' माना जाएगा कि 'साम्राज्य विरोधी' ? क्या यही तर्क आतंकवाद के साथ नहीं लागू होता ?'

यहां हाशिमपुरा के साथ जुड़ी आनुषंगिक घटनाओं के बारे में इतने विस्तार में लिखने का मौक़िफ़ यह है कि हाशिमपुरा को कड़े इम्तिहान की तरह माना जाए और जिस तर्क के आधार पर नोम चोम्स्की संयुक्त राज्य अमेरिका को

'फेल्ड स्टेट' की संज्ञा देते हैं उन्हीं तर्कों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र को भी क्यों न 'फेल्ड स्टेट' कहा जाए ? चोम्स्की के तर्कों को ठीक से समझने के लिए उनके शब्दों को उद्धृत करना श्रेयस्कर होगा–

'पतित राज्य' (फेल्ड स्टेट) का एक चरित्र यह है कि वे 'ग़ैर-विधिक राज्य' (आउटलॉ स्टेट) हैं' (लेकिन इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की निम्नवर्गीय जनता का दोष नहीं है), 'उनके (राज्य के) नेतृत्व ने अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों और संधियों का उल्लंघन किया है । इस तरह की बाध्यताएं (अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों की) दूसरों पर ज़रूर आरोपित होती हैं, पर ग़ैर-विधिक राज्यों पर नहीं ।' इसाबेल कुमार को दिये गये अपने एक साक्षात्कार में नोम चोम्स्की ने पुनः इस बात को दोहराया है कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है ।'

सीधे तौर पर कहें तो स्थिति यह है कि राज्य निरंतर अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल दिखायी दे रहा है । विदर्भ में किसानों की आत्महत्या से कहानी की शुरुआत करें और इसे किसी भी आयाम पर ख़त्म करें, पाएंगे कि यह सारा वृत्तांत 'ग़ैर-विधिक राज्य' के प्रमाण के तौर पर सामने आ रहा है ।

एक बार पुनः हाशिमपुरा पर लौट आएं । 'न्याय' (अब यह जैसा और जो भी प्राप्त हुआ) इस 'ग़ैर-विधिक राज्य' में एक ऐसे कूटशब्द में तब्दील हो चुका है, जिसका तात्पर्य अन्याय और उत्पीड़न के साथ त्रासदी के सिवा कुछ और नहीं !

इस मुहावरे के भारतीय लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मायने हैं कि 'फ़सल इस जन्म के लिए, मुक़दमा दूसरे जन्म के लिए' (हालांकि अवांछित है, लेकिन एक फ़िल्म का संवाद 'तारीख़ पर तारीख़' इस 'न्याय' की मार्मिकता को पूरी सच्चाई से बताता है)। 'हाशिमपुरा-22 मई' का लेखक न्याय की त्रासदी को जिस तकलीफ़ के साथ बयान कर रहा है, उसमें मौजूद पीड़ा और त्रासदी को संवेदनापूर्वक देखने की ज़रूरत है । 'मृतकों में से एक के बेटे के इस कथन पर ग़ौर कीजिए । उसने बड़े दुख और क्षोभ के साथ कहा कि जब उसके मृतक बाप को पुलिस उठा ले गयी, वह केवल चार साल का था । ग़रीबी के कारण उसकी पढ़ाई-लिखायी नहीं हो सकी और उसे कोई ढंग का रोज़गार नहीं मिल सका । इस फ़ैसले के बाद (सत्ताईस वर्ष के बाद !) न्याय की उसकी रही-सही उम्मीद भी ख़त्म हो गयी ।'

यह कोई छिपी बात नहीं है कि इस लोकतंत्र में न्याय का तात्पर्य यह है कि सत्ताईस वर्ष बिना कुछ खाये-पिये वकील को पैसा देते हुए 'न्याय' के लिए बिना किसी सुनिश्चितता के संघर्ष किया जाए । भारतीय समाज में न्याय के लिए कितनी बेचैनी है– इसका अंदाज़ा कीटनाशक पीकर मौत को गले लगाने वाले किसान के परिवार से मिल कर ही हो सकता है, या कुछ हद तक चौरासी के दंगों में मारे गये लोगों के बच्चों या पत्नियों की शक्लों को देखकर हो सकता है ।

नोम चोम्स्की के शब्दों को दोहरा दें कि अपने गणतंत्र या लोकतंत्र को 'विफल राज्य' कहें कि 'ग़ैर-विधिक राज्य' कहें ? (सा० : जनसत्ता)



قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

قادری قبض روجن ®

گیسٹک کے درد میں؟

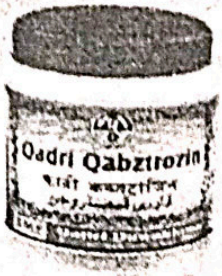

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

زعفرانی تیل ®

گھٹیا کے درد میں؟



کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن ®

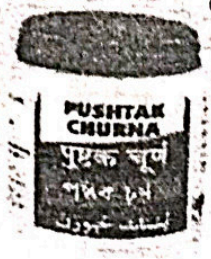

جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی ®

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

زعفرانی مالٹ

ہر عضو کی کمزوری کے لئے



دماغ و اعصاب کے لئے محرک ہے۔ ضعف باہ کو دور کرتی ہے اور اعلیٰ درجہ کا ممسک بھی ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے مردانہ قوت اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ صبح و شام۔ ۵ گرام دودھ کے ساتھ

کیسر فورٹ

قوت باہ کی طاقت میں اضافہ کے لئے



اگر مردانگی قوت میں مردانگی میں کمزوری واقع ہو تو اس کو ضعف باہ کہتے ہیں اور اگر وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بالکل قابل نہ ہو تو اس کو نامردی کہتے ہیں۔ ان کا تکالیف کو دور کرنے کے لئے ادارہ قادری دواخانہ نے چند یونانی جڑی بوٹیوں کے مرکب سے ایک ایسی کیسر فورٹ ایجاد کر لی ہے جو امساب کو طاقت دے کر باہ کی طاقت کو بڑھاتی ہے اور کمزوری کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔

مقدار خوراک روزانہ ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ہمراہ

Qadri Dawakhana ™
B-10, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road, (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2469-3539 (M) 9830009610 / 9874013109
Website : www.qadridawakhana.com
Email : qadridawakhana80@yahoo.co.in

STOCKIST

Qadimi Dawakhana
1397, Ballimaran, Delhi - 6
Ph : 011 23966395

M/s. Shifa Clinic
A-280, Moti Masjid Road,
P.O. Chikamberpur, Shaheed Nagar
Ghaziabad, Ph : 0120 - 2621286

सारा अबू बकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

● आर॰ चिक्काबसवण्णा

कन्नड़ कथा-साहित्य के समकालीन महिला कथाकारों में सारा अबू बकर का अपने विशेष व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से सुविख्यात है । सन साठ के अनंतर कन्नड़ कथा-साहित्य को जिन कथाकारों ने समृद्ध किया है, उनमें सारा अबू बकर का महत्वपूर्ण स्थान है ।

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट जीवन दृष्टि होती है । साहित्य सृजन करते समय साहित्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अपने साहित्य में उपस्थित रहती है । यह जीवन दृष्टि ही उनकी मान्यताओं को, विचारों को किसी न किसी रूप से रेखांकित करती है । लेखक को व्यक्तित्व का निर्माण उसके आसपास के परिवेश और संस्कारों से होते हैं । अत: सारा अबू बकर की साहित्यिक रचनाओं में झांकने से पहले हमें उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके परिवेश तथा ज़िन्दगी को जानना आवश्यक है ।

जीवन परिचय

सारा जी के दादा पुदियापुर (केरल राज्य) के एक प्रतिष्ठित परिवार के थे । उनका बेटा पी॰ अहमद मद्रास क़ानून परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कासरगोड़ में न्यायालय में वकील काम करते थे ।

जन्म तथा जन्म स्थान

सारा अबू बकर का जन्म 30 जून 1936 को केरल राज्य के कासरगोड़ ज़िले में एक संपन्न प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था । उनका सारा बचपन कासरगोड़ में बीत गया । कासरगोड़ के बारे में वे कहते हैं, बचपन की यादों के बारे में कहना हो तो मुझे कासरगोड़ की चंद्रगिरि नदी और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरमणीय हैं । एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण सारा जी का बचपन सुख से ओतप्रोत रहा ।

माता-पिता

सारा जी के माता जैनाबी और पिता का नाम पी॰ अहमद था । सारा जी की मां पुरानी रूढ़ि परंपराओं को मानने वाली थी । साराजी के पिता पी॰ अहमद केरल राज्य के कासरगोड़ में वकीली काम करते थे । साहित्य के प्रति पिताजी की गहरी रुचि के कारण सारा जी के मन में ही साहित्यिक विषयों पर बहुत आकृष्ट हुई । उनके परिवार से छह संतान थे । उनमें से साराजी चौथी थीं । उनके बड़े भाई अहमद उनके हर एक कामों में सहायता देते थे ।

शिक्षा

साराजी की पढ़ाई केरल राज्य के कासरगोड़ ज़िले के चमनाड मलयालम स्कूल में प्रारंभ होकर, वहां तीसरी कक्षा तक (मलयालम) पढ़कर बाद में उनके पिता के इच्छानुसार कासरगोड़ कन्नड़ स्कूल में पढ़ाई की । घर पर ही कन्नड़ सिखाने के लिए एक कन्नड़ शिक्षक को नियुक्त कर घर पर ही पढ़कर मैट्रिक परीक्षा पास की । पढ़ाई के साथ-साथ कसूती (नीड़लवर्क्स) और निट्टिंग काम करती थी ।

पारिवारिक जीवन

साराजी का विवाह सन 1963 को कर्नाटक राज्य के मंगलूर में रहने वाले सरकारी इंजीनियर एम॰ बकर के साथ हुआ । उनकी शादी काफ़ी शानदार ढंग से हो गयी । पति के घर में ही गृहणी के रूप में काम करती थी । विवाहोपरांत साराजी गृहस्थी की ज़िम्मेदारियां निभाते हुए लेखन जारी रखा । (चालीस वर्ष की आयु में)

साहित्यिक परिचय

सारा अबू बकर जी का साहित्य विविध विधाओं को स्पर्श कर चुका है । संभवत: इसी कारण सारा जी को कई नामों से संबोधित किया जाता है । जैसे उपन्यासकार, कहानीकार, लेखिका आदि । सन 1975 में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था । श्रीमती सारा अबू बकर का कथा साहित्य विशाल परिधि में व्याप्त है । लगभग 110 कहानियां और 8 उपन्यासों का सृजन करके कन्नड़ कथा साहित्य के क्षेत्र में अपनी सक्रियता दिखाती हैं ।

साहित्यकारों का प्रभाव

साराजी पर दादा-दादी और पिता, उसके साथ कासरगोड़ के कन्नड़ पंडित के॰एस॰ शर्मा, पत्रकार पी॰ लंकेश एवं अपने पति एम॰ अबू बकर और अन्य कन्नड़ साहित्यकारों का गहरा प्रभाव पड़ा ।

पुरस्कार

सारा अबू बकर के उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्नड़ साहित्य ने विविध पुरस्कार देकर सम्मानित किये हैं ।

- 1984 में चंद्रगिरि के किनारे में उपन्यास के लिए कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य परिषद का मल्लिका पुरस्कार ।
- 1985 में दूसरी उपन्यास सहना के लिए वर्धमान उदयोन्मुख साहित्य पुरस्कार ।
- 1991 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार ।
- 1995 में सरोजिनी श्रीहर्ष पुरस्कार ।
- 1999 में दानचिंतामणि अत्तिमब्बे पुरस्कार ।
- 2001 में गोरूर प्रतिष्ठान का बाबा साहेब डॉ॰ अंबेडकर पुरस्कार ।
- 2005 में अल्वास नुडिसिरि पुरस्कार ।
- 2006 में हंपी कन्नड़ विश्वविद्यालय से नाड़ोजा पुरस्कार ।
- 2014 में शांतला साहित्य पुरस्कार ।

कृतित्व

आज की लोकप्रिय गद्य विधा कहानी साहित्य के माध्यम से सारा अबू बकर ने साहित्य क्षेत्र में क़दम रखा । उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में स्वतंत्र एवं नयी भावभूति प्रस्तुत की है ।

कहानी संग्रह

1. चप्पलिगलु (जूतें-1989)
2. पयण मत्तु इतरे कथेगलु (1992) (सफ़र और अन्य कहानियां)
3. अर्धारात्रियल्ली हुट्टिदा कूसू (1996) (अर्धरात में जन्मे बच्चा)
4. खेड्डा
5. सुमय्या
6. लेखन गुच्छ (लेखन गुंझल)
7. अनावरण
8. साहित्य-समाज-महिले ।
9. तेलाडुव मोडगलु (रेडियो-नाटक) फहरने वाले बादल)

उपन्यास

1. चन्द्रगिरीतीरदल्ली (चंद्रगिरी किनारे में) (1984)
2. सहना (1985)
3. वज्रगलु (हीरे)
4. कदन विराम (युद्ध विराम)
5. सुलियल्लि सिक्कवरु (भंवारे में फंसे लोग)
6. प्रवाह सुलि (बाढ़ घड़ी)
7. तल ओड़ेद दोणियल्लि (तल में छेद पड़े नांव)
8. पंजरा (पिंजर)

प्रवास कथन

ऐषारामद आलदल्लि (ऐषाराम की गहराई) (2001)

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सारा अबू बकर जी आधुनिक सशक्त महिला कन्नड़ साहित्य का लेखिका है । नारी की समस्याओं का यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने नारी-जाति का प्रतिनिधित्व किया है । पुरुष प्रधान समाज में नारी के शोषण की ओर संकेत कर उन्होंने पुरुष की कामुक दृष्टि को अनुचित ठहराया है । नारी की असहाय अवस्था के प्रति सारा अबू बकर का कोमल हृदय उनके नारी पात्रों के माध्यम से कई बार रो पड़ा ।

अत: हम कह सकते हैं कि सारा अबू बकर जी कन्नड़ साहित्य जगत और नारी समूह या वर्ग के लिए एक अनमोल रत्न या वरदान है ।

आधार ग्रंथ सूची

1. अनन्य महिला चेतना मालिके सारा अबू बकर देविका नागेश
2. चप्पलिगलु-सारा अबू बकर
3. चंद्रगिरि के किनारे में-सारा अबू बकर
4. पयण मत्तु इतरा कथेगलु (कहानी संग्रह) सारा अबू बकर
5. अभिव्यक्ति-सारा अबू बकर अवर चंद्रगिरिय तीरदल्लि-डॉ॰ जी॰ आर॰ तिप्पेस्वामी
6. सुमय्या-सारा अबू बकर
7. वज्रगलु-सारा अबू बकर
8. सहना-साहा अबू बकर

लेखकों एवं रचनाकारों से

"कान्ति" में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

व्यंग्य के पुरोधा 'दादा'

● मुहम्मद मुईनुद्दीन 'अतहर'
(जबलपुर, म०प्र०)

मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यूं रात भर नहीं आती ।

ग़ालिब साहब का यह शेअर हमें इस बात का यक़ीन दिलाता है कि मौत सुनिश्चित है । एक दिन उसे अपने समय में आना ही है । इसलिए मौत के डर से घबराना नहीं चाहिए, अलबत्ता उसे याद रखना चाहिए । हर जीव को मौत का मज़ा चखना है । (क़ुरआन)

मौत से किसकी जग में यारी है,
आज तुम कल हमारी बारी है ।

इस नश्वर संसार में दुनिया और दौलत का मोह बेकार है । यहां की सारी वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, अगर काम आएगा तो सिर्फ़ उसका कर्म । अच्छा या बुरा । कर्म के द्वारा ही आदमी की पहचान होती है । अच्छा काम करने वाले की अलग और बुरे की अलग । जब यह बात तय है कि हमें एक दिन मरना ही है तो क्यूं न हम सद्कार्य करके अपने जीवन को अमर कर लें ।

ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि में पैदा किया है और मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है, इसलिए हमें आपस में प्रेम, मुहब्बत और भाईचारा बनाकर रहना चाहिए । हमारा ईश्वर एक है । हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए ।

डॉ० श्रीराम ठाकुर 'दादा' को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु जिन्होंने कविता, कहानी, लघुकथा, व्यंग्य, उपन्यास, संस्मरण आदि अपना संपूर्ण साहित्य हमें दिया, हम उनके कृतज्ञ हैं । निश्चित तौर पर 'दादा' ने सद्कार्य करते हुए साहित्य-सृजन किया ।

कविता, कहानी, व्यंग्य, उपन्यास तथा लघुकथा आदि की उनकी 16 कृतियां प्रकाशित हुईं । आज 'दादा' हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु मैं मानता हूं कि कृतिकार रहे न रहे कृति जीवित रहती है, जिसके माध्यम से कृतिकार भी अमर हो जाता है ।

सादा जीवन उच्च विचार के धनी, मौन तपस्वी, डॉ० श्रीराम ठाकुर 'दादा' ने अपने 63 वर्ष की अल्पायु में अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह भुलाया नहीं जा सकता । उनका व्यंग्य लेखन मरते दम तक चलता रहा । उनकी अंतिम दो पुस्तकें मृत्यु के एक या दो माह पूर्व दिल्ली से प्रकाशित होकर आयीं । उन्होंने अपने लेखन में व्यंग्य को प्रमुखता दी और एक सफल व्यंग्यकार के रूप में अपने आपको प्रस्तुत किया । हरिशंकर परसाई जैसा बेबाक कथन तथा शरद जोशी जैसा तीखा तेवर वाले इस महान व्यंग्य शिल्पी ने व्यंग्य के लगभग पन्द्रह तीर चलाये जिसने साहित्य के क्षेत्र में वह धूम मचायी कि चारों ओर 'दादा' का नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा । मान-सम्मान, पुरस्कार, अलंकरण से पूरे देश में सम्मानित डॉ० श्रीराम ठाकुर 'दादा' के व्यक्तित्व में घमंड की छांव तक नहीं थी । वह बहुत सरल तथा सहज व्यक्तित्व के धनी थे । जो भी उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित होकर धन्य हो जाता । उनके व्यक्तित्व का ख़ास पहलू यह है कि उन्हें सभी छोटे-बड़े दादा कहकर पुकारते थे ।

मेरे विचार से लक्ष्य को सामने रखकर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता । लक्ष्य तक पहुंचना और लक्ष्य भेदन, दो अलग-अलग बातें हैं । दादा लक्ष्य तक पहुंचे भी और लक्ष्य भेदन भी किया । जबलपुर और भारत के कई अन्य साहित्यकारों से मेरा आत्मीय परिचय है । सभी की साहित्यिक यात्रा तथा उनकी लेखन कला से भी परिचित हूं, परन्तु अपने कार्य के प्रति जिस लगन, निष्ठा, धैर्य तथा ईमानदारी से कार्य करते हुए मैंने दादा को देखा, किसी अन्य को नहीं ।

डॉ० श्रीराम ठाकुर 'दादा' मेरे साथ जबलपुर में सी०टी०ओ० स्थित टेलीफ़ोन एक्सचेंज में टेलीफ़ोन प्रचालक के पद पर थे । वे हमारे अन्य मित्रों में मेरे अभिन्न रहे । व्यंग्य कविताओं का पहला संकलन "दादा के छक्के" मेरे सामने प्रकाश में आया, और वहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो निर्बाध गति से निरंतर चलती रही । 'दादा'

के इसी संकलन ने मेरे अन्दर के साहित्यकार को जन्म दिया और मेरा पहला लघुकथा संकलन ''कांटे की कांटे'' 'दादा' के निर्देशन में जबलपुर के लोकचेतना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, जिसे काफ़ी सराहा गया ।

'दादा' के सत्संग में मुझे यह प्रेरणा मिली कि 'सत्साहित्य का पठन, चिंतन, मनन ही हमारे जीवन को संवार सकता है । साहित्य के पौधे को, चिंतन से जितना सींचोगे उतना ही वह परवान चढ़ेगा । साहित्य हमारे विवेक को जागृत करता है और मुख्य बात यह कि यह समाज सुधारक की भूमिका अदा करता है । उनके इस उद्‌गार को मैंने अपने गले का हार बना लिया और एक लक्ष्य बनाकर उनके साथ हो लिया ।

डॉ॰ श्रीराम ठाकुर 'दादा' के साथ मैंने वर्ष 1986 को 'युवा रचनाकार समिति' का गठन किया जिसमें, मैंने सचिव पद की भूमिका निभायी तथा दादा ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और 19 जनवरी 1986 को जबलपुर के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय लघुकथा सम्मेलन की आयोजना की जिसमें प्रख्यात साहित्यकार, समीक्षक शंकर पुणताम्बेकर, लघुआघात के संपादक विक्रम सोनी सहित बड़ी संख्या में लघुकथाकार उपस्थित रहे ।

डॉ॰ श्रीराम ठाकुर 'दादा' अपने सृजन के आरंभकाल से जीवन के संधया काल तक संघर्षरत रहे । उनकी साहित्यिक कृतियां अमूल्य धरोहर हैं । कुल मिलाकर यदि हम 'दादा' की जीवन स्थितियों का निष्पक्ष अवलोकन करें तो सहज ही उनकी मूल्यवत्ता से साक्षात्कार कर सकेंगे । पाठक मंच के माध्यम से संगठनकर्ता के रूप में भी 'दादा' ने सराहनीय योग दिया है ।

पाठ ईमानदारी का

बात दशकों पुरानी है । देश के बंटवारे की विभीषिका झेल कर मैंने कुछ दिन पूर्व कानपुर में एक बीमा कंपनी में नौकरी कर ली थी । निवास पांच किलोमीटर दूर था । पैदल आना-जाना होता था । छुट्टी अक्सर देर से होती थी । उस दिन सालाना लेखाबंदी के काम में रात के साढ़े बारह बज गये । नीचे उतरा तो देखा कि बारिश हो रही है । दिसम्बर का आख़िरी दिन, कानपुर की ठंड और ऊपर से यह बारिश । दफ़्तर की साइकिल मांग कर बारिश में भीगता, सूती कुर्ते-पाजामे में सर्दी से ठिठुरता चला । कुछ ही दूर गया था कि साइकिल का पिछला पहिया पंचर हो गया । मन खिन्न हो गया । साइकिल घसीटते चला तो मन में सवाल आया कि मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि मुझे यह सज़ा मिल रही है ।

मन से फ़ौरन जवाब भी मिला । दिन में दफ़्तर की डाक खोलते समय एक लिफ़ाफ़े पर लगा एक आने का एक डाक टिकट जो कैंसल होने से बचा रह गया था, मैंने निकाल कर जेब में रख लिया था । अभी भी पड़ा भीग रहा था । दिमाग़ में आया कि वह टिकट मेरा नहीं था । मैंने चोरी की । उसकी सज़ा तो मिल रही है । कल प्रातः पंचर बनवाने का ख़र्च भी करना पड़ेगा ।

फ़ौरन वह टिकट जेब से निकाल कर बारिश के बहते पानी में फेंक दिया । गोया उस पाप से छुटकारा पा लिया । जीवन के प्रारंभ में घटित इस घटना ने मन-मस्तिष्क पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा जिसने भावी जीवन में हमेशा पथ-प्रदर्शन किया ।

● ओमप्रकाश बजाज

ग़ज़ल

मत कहो, आकाश में कुहरा घना है
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है

सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से
क्या करोगे, सूर्य का क्या देखना है

इस सड़क पर इस क़दर कीचड़ बिछी है
हर किसी का पांव घुटनों तक सना है

पक्ष औ' प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं
बात इतनी है कि कोई पुल बना है

रक्त वर्षों से नसों में खौलता है
आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है

हो गयी हर घाट पर पूरी व्यवस्था
शौक़ से डूबे जिसे भी डूबना है

दोस्तों ! अब मंच पर सुविधा नहीं है
आजकल नेपथ्य में संभावना है ।

● दुष्यंत कुमार

चलो कोई बात नहीं

● राम प्रवेश रजक
(शांतिनिकेतन)

मीरपुर गांव के भोला बाबा के मंदिर में ग्यारह साल का भोला मंदिर की नित्य सफ़ाई का काम किया करता था। निम्न वर्ण का होने के कारण उससे मंदिर का प्रांगण साफ़ करवाया जाता था। मंदिर में उसका प्रवेश निषेध था। नाम के जैसा ही उसका स्वभाव भी था। वह बहुत ही चंचल और साफ़ मन का बालक था।

हर बच्चे की तरह उसकी भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर वह आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल नहीं जा पाता था। अत: उसका ज़्यादातर समय मंदिर के कामों में और खेल-कूद में बीताता था। रोज़ की तरह मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते ही भोला भागते हुए सीढ़ियां पर जा बैठता। चंचल स्वभाव का भोला प्रवचन बहुत ध्यान से सुना करता था। इस कारण लोग उसे पसन्द भी करते थे। यह उसका नित्य कर्म था।

गांव में उसके मित्र बहुत कम थे, क्योंकि भोला निम्न वर्ण का था। इसलिए यह हमेशा उपेक्षित ही रहता था। जो थोड़े बहुत मित्र थे भी तो वह स्कूल चले जाते, भोला सारा दिन अकेले घूमता रहता, कभी-कभी अपने बाबा के साथ खेत में काम भी करने चला जाया करता। भोला अपने एकाकीपन से ख़ुश नहीं था। वह अपनी दिल की बात अपनी मां से कहा करता था। रोज़ की तरह मंदिर की घंटी-बजी और भोला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रवचन सुनने लगा। घर लौटा, तो मां ने पूछा पंडित जी ने आज प्रवचन में क्या सुनाया ? भोला ने बड़े सुकून से कहा–आज पंडित जी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनायी।

पंडित जी ने कहा–मित्र एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा, अमीर-ग़रीब नहीं होता। मित्रता हमें सदैव निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हर रिश्ते से बढ़कर यह रिश्ता है, जहां सारे भेदभाव मिट जाते हैं। भोला अपनी मां से पूछता है–मां ! क्या ऐसा सचमुच होता है। पंडित जी ने सच ही कहा, पर ऐसा होता नहीं। ये सब किताबी बातें हैं। सिर्फ़ सुनने में ही अच्छी लगती है।

भोला आश्चर्य होकर कहता है ऐसा क्यों कह रही हो मां ? फिर मां हंसते हुए कहती है, तू ख़ुद समझ जाएगा। फिर भोला के मन में तरह-तरह के सवाल उठने लगते हैं। सवाल ऐसे थे जिनका जवाब समय आने से पहले नहीं मिल सकता था। भोला को न जाने क्यों मां की बातें व्यर्थ लगी।

पंडित जी का बेटा मनोहर से भोला की अच्छी बनती थी। मनोहर अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से आने के बाद वह भोला के साथ कुछ देर खेलता। भोला को उसका साथ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह स्कूल जाता था और उससे भोला कुछ न कुछ सिखाता रहता था। भोला अपने घर से मनोहर के लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करता था। मनोहर उसे छिपाकर खाता था। भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती की वह क्यों मेरे द्वारा लायी गयी चीज़ों के छिपाकर खाता है फिर सोचता मैं तो निम्न वर्ण का हूं न शायद इसीलिए।

फिर मन ही मन कहता मित्रता में तो भेदभाव मिट जाता है ना, फिर क्यों ? ऐसे ही न जाने कितने सवाल भोला के मन में चलते रहते थे। एक दिन घूमते-घूमते भोला को मनोहर अपने घर ले जाता है। उस दिन भोला बहुत उत्साहित था। वह सोचता है कि आज मेरे मित्र के घर में मेरा स्वागत होगा, पर कुछ ही क्षण बाद भोला का यह भ्रम टूट जाता है। पंडिताइन (मनोहर की मां) उसे देखते ही बाहर बरामदे में उसे बैठने को कहती है और मनोहर मां के साथ अन्दर चला जाता है। वह एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता।

भोला हैरान होकर बाहर ही कुछ देर खड़ा रहता है। भोला मन में यह सोचता है कि मनोहर तो मेरा मित्र है तो हममें कोई फ़र्क़ ही नहीं, जाति-पैसा इनसे बढ़कर है न...! फिर भी वह अपने आपको मना लेता है, पर भोला के मन में न जाने ऐसे कितने अनसुलझे सवालों का अंबार नहीं

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

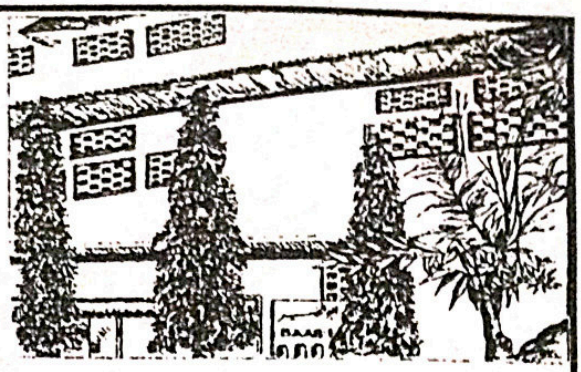

एक दृष्टि में

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 29 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 8 बैच 88 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 5 बैच 53 छात्राएं ● 1993 ई० से 2014 ई० तक 75 अनाथ बच्चियों और 51 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 30 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 16,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

नोट : इस्लामी माहौल, इस्लामी लिबास और इस्लामी यूनिफार्म के साथ-साथ कम ख़र्च में मेयारी तालीम।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/c No. : 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां (Ph. : 09934480190)

दे सकता था । इनके जवाब ढूंढ़ने में भोला खुद उलझता चला जाता है और कुछ देर के लिए वह शांत हो जाता है, तभी मनोहर की मां थोड़े से बतासे देती हुई पूछती है पानी पिएगा, तो बाहर नल चलाकर पी लेना । भोला कहता है, नहीं, पेट भरा हुआ है । तभी कुछ देर बाद मनोहर डकार मारता हुआ घर से निकलता है और दोनों क्रिकेट खेलने चले जाते हैं । भोला मनोहर को कुछ देर तक उपेक्षा भरी निगाह से देखता है । मनोहर के कंधे पर हाथ रखना भोला को बोझ लगता है ।

फिर भी भोला अपने मन को मनाता है । भोला को धीरे-धीरे अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं । उसे अपनी मां की बातें भी याद आती हैं, पर भोला फिर भी सब कुछ झुठलाता रहता है । कहता है दोस्त ही तो है ना, क्या फ़र्क़ पड़ता है अगर उसने मुझे अन्दर आने को नहीं कहा । आख़िर हूं तो मैं नीच ही ना । कुछ दिन बाद भोला मनोहर से कहता है कि मनोहर तू तो पढ़ता है मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है । मनोहर कहता है, हां, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगा ।

इस आसरे में कई दिन गुज़र जाता है । एक दिन फिर भोला कहता है तू मुझे एक किताब दे । मैं भी पढ़ना चाहता हूं । मनोहर कहता है अरे ! भोला तू क्या करेगा पढ़कर, तू भी अगर पढ़ने चला जाएगा, तो मेरे साथ कौन खेलेगा । मेरा मनोरंजन कैसे होगा, मंदिर का काम कौन करेगा ? भोला भौंचक्का होकर सिर्फ़ उसकी बातें सुनता रहता है और सोचता है कि मां ने उस दिन पंडित जी के प्रवचन को किताबी बातें क्यों कहा था ।

स्वास्थ्य चर्चा

दांतों को सड़न से बचाएंगे सेब-संतरे

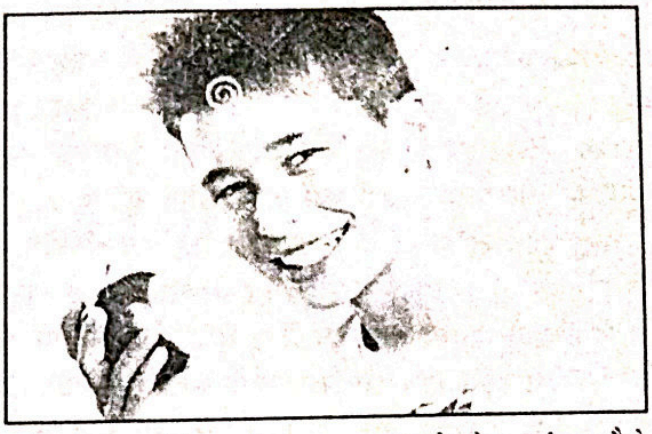

सेब, संतरा जैसे फलों के गुणों के बारे में प्राय: सभी जानते ही हैं और सेब को लेकर तो वैसे भी आप सभी ने बचपन में कहावत ज़रूर सुनी होंगी, ''एक सेब रोज़ खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ', इसलिए हम आपको सेब, संतरा जैसे फलों के फ़ायदों के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे हैं बल्कि पिछले दिनों ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा सेब, संतरा और स्ट्रॉबेरी की अलग तरह की विकसित की गयी क़िस्मों के बारे में बता रहे हैं, जो आमतौर पर उपलब्ध सेब, संतरा, स्ट्रॉबेरी वाले तमाम फ़ायदे तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही दांतों की रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे और मुंह में ऐसे तत्व छोड़ेंगे, जो दांतों में सड़न पैदा करने वाले 'स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस' नामक जीवाणु का भी सफ़ाया कर देंगे । यह तत्व वास्तव में 'पी 1025' नामक प्रोटीन है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने की विशेष क्षमता रखता है ।

दरअस्ल वैज्ञानिकों ने इस विशेष प्रोटीन युक्त फलों की क़िस्में विकसित करने के लिए यह प्रोटीन पैदा करने वाला जीन इन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में डाला था । क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल ही पौधों को हरा रंग प्रदान करता है और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को कार्बनहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा उन तमाम पौष्टिक तत्वों में बदल देता है, जो हमें अनाज, फल, सब्ज़ी, दाल इत्यादि के रूप में प्राप्त होते हैं । फलों में पैदा किये गये प्रोटीन का जीन 'गाई अस्पताल' के इम्यूनोलोजी विभाग ने खोजा था और उसके बाद प्रोटीन के जीन को क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश कराने का कार्य इंग्लैंड और लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा आपसी तालमेल के आधार पर किया गया । शोधकर्ताओं का कहना है कि मुंह के अन्दर 200 तरह के रोगाणु पलते हैं किन्तु इनमें से सिर्फ़ 'स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस' नामक रोगाणु ही दांतों में सड़न पैदा करता है । यह रोगाणु दांतों पर चिपककर शर्करा को विखंडित कर अम्लों में बदल देता है, जो दांतों को गलाने व सड़ाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं लेकिन पी 1025 प्रोटीन युक्त फल अब इस जीवाणु का ख़ात्मा कर दांतों को सड़न से बचाने में मददगार साबित हो सकेंगे ।

● **योगेश कुमार गोयल**

सैंडविच है ही इतनी मज़ेदार

सैंडविच लोकप्रिय स्नैक्स है । आम लोगों का यह इतना पसन्दीदा व्यंजन है कि अमीर-ग़रीब छोटे-बड़े हर आयु वर्ग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं । मगर शायद ही किसी को यह मालूम हो कि इस व्यंजन का नामकरण सैंडविच कैसे हुआ तथा पहली बार इसे किसने बनाया ।

दरअस्ल इंग्लैंड के एक शहर का नाम भी सैंडविच ही है । सन 1762 में सैंडविच शहर के चतुर्थ राजा जान मोंटेगू ने भूख के समय खाने के लिए कुछ न मिलने पर दो ग्रेडों के बीच हुआ मांस लगाकर खाया था । धीरे-धीरे खाने का यह तरीक़ा उसके चार दोस्तों तथा जान-पहचान के लोगों में भी मशहूर हो गया । उस समय शायद उन्हें भी यह पता नहीं रहा होगा कि यूं ही सामने आया खाने का यह तरीक़ा एक दिन दुनिया भर में एक पापुलर रेसिपी बन जाएगा । इसी शहर के नाम पर लोगों के इस फेवरिट डिश का नाम सैंडविच रखा गया जो आज तक चला आ रहा है ।

सन 1773 में इस शब्द का इस्तेमाल चार्लोट मेसन ने अपनी कुकबुक में किया था । इसी वर्ष यहां हुए गृह युद्ध ने सैंडविच की खपत में इज़ाफ़ा कर दिया । अब तक यह समाज के उच्च वर्ग से लेकर श्रमिक वर्ग तक के लोगों के भोजन का प्रिय प्रमुख हिस्सा बन चुका था । 19वीं शताब्दी के अंत में सैंडविच को ट्रिपल लेयर्ड तथा क्लब सैंडविच जैसे अन्य नामों से भी जाना जाने लगा ।

वर्तमान काल में सैंडविच पूरी दुनिया में पापुलर हो चुका है तथा महानगरियों के बड़े-बड़े होटलों और रेस्तराओं से लेकर छोटे-छोटे ग्रामीण क़स्बों और बाज़ारों के चौराहों के नुक्कड़ पर खड़े ठेलों तक यह बिकता है, हालांकि सैंडविच में ब्रेड के बीच फिलिंग के लिए फूड आइटम की कोई सीमा नहीं रह गयी है और अब इस रेसिपी में उबले आलू के मसाला मिश्रित चोखे के अलावा पनीर, फ्रूट, फिश, ड्राईफ्रूट, अंडे के आमलेट और मशरूम जैसी अनेक प्रकार की फिलिंग का इस्तेमाल होने लगा है ।

चटनी खाइए

जिस प्रकार शरीर को ख़ूबसूरत बनाने के लिए विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भोजन को स्वादिष्ट बनाने में विभिन्न प्रकार की चटनी उपयोगी होती है । मिर्च, टमाटर, आंवला आदि से बनायी जाने वाली चटनी जायक़ेदार होने के साथ ही पौष्टिक तत्वयुक्त भी होती है । यह मूल रूप से भारतीय व्यंजन विटामिन सी युक्त हरी मिर्च रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही ज़ुकाम में भी लाभकारी है । आहार विशेषज्ञों के अनुसार हरी मिर्च के सेवन से कोलेजन उत्पन्न होता है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । इतना ही नहीं, इसमें मौजूद कैपसायसिन नामक रसायन सूजन में राहत प्रदान करता है । इसलिए सूजन की स्थिति में मांसपेशियों को राहत प्रदान करने वाले बाम को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है । इसकी पौष्टिकता को देखते हुए चटनी में इसका प्रयोग किया जाता है । आहार विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे टमाटर की तुलना में पके हुए टमाटर में छहगुना लाइकोपीन अधिक पाया जाता है । यदि आप घर में बनी टमाटर चटनी खाएं तो इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक एंटी ऑक्सीडेंट के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) में वृद्धि होती है । यह त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ।

सरसों की चटनी स्वास्थ्यवर्द्धक है । सरसों में सेलेनियम तथा मैग्नीशियम नामक एंटी ऑक्सीडेंट पाये जाते हैं जो आर्थराइटिस में लाभदायक हैं । इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स नामक पाये जाने वाले तत्व कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में कारगर व मददगार हैं । सरसों की चटनी खाने से छाती की जकड़न और माइग्रेन में राहत महसूस होती है ।

पुदीना की पत्तियों में मौजूद मेथनॉल पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमन्द है । इससे एसिडिटी में भी लाभ होता है । इसमें विटामिन बी होता है जो मानव शरीर में कोशिकाओं की पुनर्संरचना में सहायता करता है । इसलिए पुदीना की चटनी स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है ।

● डॉ० अनुराग कुमार श्रीवास्तव

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

A WELL WISHER
KOLKATA

Posted on 20-21 July 2015
August 2015
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.07.2015
Total Pages-52 (With Covers)

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

Dr. Mrs. Naheed F Khan

MBBS, DGO, MS (Obs & Gyn)
Mb. : 9830031647
E-mail : drnfkhan@yahoo.co.in
drnfkhan22@gmail.com

RESIDENCE

52B, Shakespeare Sarani
Sukh Sadan, Flat 7-D
Kolkata - 700 017
Ph. : 2283033

C H A M B E R S

B. N. CLINIC
84/5, Ripon Street
Kolkata - 700016
Ph. : 22296057, 22296096
Tue, Fri, Sat : 4 pm - 8 pm
Thu : 11 am - 1 pm

BHAGIRATHI NEOTIA
WOMAN & CHILD CARE CENTRE
2, Rawdon Street, Kolkata - 700017
Ph. : 4040510, 40405100
Mon : 8 am - 10 am
Wed : 7 pm - 9 pm

FORTIS MEDICAL CENTRE
2/7, Sarat Bose Road
Kolkata - 700020
Ph. : 24754320, 24754096
Tue : 11 am - 1 pm
Thu : 8 am - 10 am

DILKUSHA NURSING HOME
94 A, Dilkusha Street
Kolkata - 700017
Ph. : 22803639, 22874318
Wed : 11 am - 1 pm